

**46वीं वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट  
2014-2015**

**46<sup>th</sup> ANNUAL ASSESSMENT REPORT  
2014-2015**



सत्यमेव जयते

**भारत सरकार  
Government of India  
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय  
Department of Official Language, Ministry of Home Affairs**

हिंदी के प्रसार एवं विकास की गति बढ़ाने तथा संघ के विभिन्न सरकारी प्रयोजनों के लिए उसके उत्तरोत्तर प्रयोग हेतु बनाए गए कार्यक्रम और उसके कार्यान्वयन के संबंध में  
46 वीं वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट

2014-15

46<sup>th</sup> ANNUAL ASSESSMENT REPORT

2014-15

Regarding Programme for accelerating the spread and development of Hindi and its progressive use for various official purposes of the Union and its implementation.

भारत सरकार  
Government of India  
राजभाषा विभाग  
Department of Official Language  
गृह मंत्रालय  
Ministry of Home Affairs



सत्यमेव जयते



## विषय-सूची

पृष्ठ सं.

प्राक्कथन .....	ii
अध्याय-1 संघ की राजभाषा नीति.....	1-3
अध्याय-2 भाग-क: विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों से प्राप्त वर्ष 2014-15 के राजभाषा नीति के कार्यान्वयन संबंधी आंकड़े .....	4-37
भाग-ख: मंत्रालयों/विभागों एवं उनके संबद्ध /अधीनस्थ कार्यालयों, निगमों, उपक्रमों और बैंकों आदि द्वारा वर्ष 2014-15 में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन संबंधी कार्य का मूल्यांकन.....	
अध्याय-3 राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में पाई गई कमियां, उनके निराकरण के लिए सुधारात्मक उपाय और राजभाषा नीति के बेहतर कार्यान्वयन के लिए सुझाव.....	38-39

## FOREWORD

Under the Article 343 of the Constitution, Hindi shall be the Official Language of the Union. Article 351 says it is the duty of the Union to promote the spread of the Hindi Language and to develop it so that it may serve as a medium of expression for all the elements of the composite culture of India. As per section 3(3) of the Official Languages Act, 1963, Resolutions, General Orders, Rules, Notifications, Administrative and other Reports, Press Communiqués, Administrative and other reports and official papers to be laid before a House or Houses of Parliament, contract, agreements, licensees, permits, tender notices and forms of tenders shall be issued bilingually, both in Hindi & English. The Official Language Resolution was passed by both the Houses of Parliament in December, 1967 and was circulated vide Ministry of Home Affairs O.M.No. 5/8/65-O.L. dated 18<sup>th</sup> January, 1968. It was resolved that “a more intensive and comprehensive programme shall be prepared and implemented by the Government of India for accelerating the spread and development of Hindi and its progressive use for the various official purposes of the Union and an Annual Assessment report giving details of the measures taken and the progress achieved shall be laid on the Table of both the Houses of Parliament and sent to all State Governments”. Annual Programme for the year 2014-2015 was sent for compliance to all the offices of the Central Government by the Department of Official Language. Besides, concerted efforts for implementing the provisions of the Annual Programme, were also made throughout the year. The present assessment report is based on the analysis of information, data and progress reports received from various Ministries/Departments etc.

Continuous efforts have been made by the Ministries/Departments of the Central Government to accelerate the use of Official Language Hindi in their Attached/Subordinate offices, Undertakings, Corporations, Banks etc., also. As a result, there has been improvement in the progressive use of Hindi in many spheres in the year 2014-2015 as compared to the year 2013-2014. However, targets laid down for many items in the Annual Programme for the year 2013-2014 could not be achieved. In such cases, attention of the concerned offices was drawn towards the deficiencies on receipt of the quarterly reports and at the time of inspection of the Ministries/Departments, Undertakings, Attached and Subordinate offices etc.

Constant watch was kept on the progress of implementation through the Hindi Advisory Committee of the Ministries/Departments, their Official Language Implementation Committees, Official Language Implementation Committees of Attached/Subordinate offices, Undertakings and Banks as well as various Town Official Language Implementation Committees.

Sustained efforts were made in the field of translation work, training of officers/employees including Hindi /Hindi typing/Hindi shorthand to typists/stenographers. Though desired success could not be achieved in a number of offices, our efforts continue. During 2014-2015 a number of training programmes for the officers/officials of the Central Govt. Ministries/departments/ undertakings/banks etc on computers in Hindi were also organized by the Department of Official Language.

The position regarding the implementation of the Official Language during 2014-2015 in various Ministries/Departments/Offices has been given in Chapter-2 of this report. It is expected that in the ensuing years, concerned offices would not only remove the deficiencies mentioned in this report but also make substantial progress.

The 45<sup>th</sup> Annual Assessment Report for the year 2013-2014 was prepared and laid on the table of both the houses of Parliament. This is the 46<sup>th</sup> report in the series for the year 2014-2015. We believe that this assessment will help to give right direction to the progressive use of Hindi and its use will gain momentum.

June, 2016

Department of Official Language  
Ministry of Home Affairs, Government of India  
New Delhi

## प्राक्कथन

संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा होगी। अनुच्छेद 351 में यह उल्लिखित है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी के प्रचार-प्रसार का संवर्द्धन एवं इसका विकास करे ताकि यह भारत के सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अनुसार संकल्पों, सामान्य आदेशों, नियमों, अधिसूचनाओं, प्रैस विज्ञप्तियों, संसद के किसी सदन अथवा सदनों में प्रस्तुत की जाने वाली प्रशासनिक या अन्य रिपोर्टों, संविदाओं, करारों, परमिटों, निविदा सूचनाओं, निविदा प्रपत्रों को द्विभाषी अर्थात् हिंदी एवं अंग्रेजी में जारी किया जाना चाहिए। संसद के दोनों सदनों में दिसंबर, 1967 में राजभाषा संकल्प पारित किया गया था जो गृह मंत्रालय के दिनांक 18 जनवरी, 1968 के का.जा. संख्या 5/8/65-रा.भा. द्वारा परिचालित किया गया था। यह संकल्प किया गया था कि 'हिंदी के प्रसार एवं विकास की गति बढ़ाने तथा संघ के विभिन्न शासकीय प्रयोजनों के लिए उसके उत्तरोत्तर प्रयोग हेतु भारत सरकार द्वारा एक अधिक गहन एवं व्यापक कार्यक्रम तैयार करके कार्यान्वित किया जाएगा तथा इस संबंध में किए गए उपायों एवं प्रगति का ब्यौरा देते हुए एक वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी जाएगी और सभी राज्य सरकारों को भेजी जाएगी। राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2014-15 का वार्षिक कार्यक्रम केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों के अनुपालन के लिए भेज दिया गया था। इसके साथ-साथ वार्षिक कार्यक्रम में की गई व्यवस्थाओं के अनुपालन के लिए पूरे वर्ष गहन प्रयत्न भी किए गए। वर्तमान मूल्यांकन रिपोर्ट विभिन्न मंत्रालयों/विभागों आदि से प्राप्त सूचनाओं, आंकड़ों तथा प्रगति रिपोर्टों के विश्लेषण पर आधारित है।

केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपने संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों, निगमों, बैंकों आदि में भी राजभाषा हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं। इन प्रयासों के फलस्वरूप 2013-14 की तुलना में वर्ष 2014-15 में कई क्षेत्रों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग में सुधार हुआ है। तथापि, 2014-15 के वार्षिक कार्यक्रम में कई मद्दों के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, उन्हें पूरा नहीं किया जा सका। ऐसे मामलों में तिमाही रिपोर्टों के प्राप्त होने पर तथा मंत्रालयों/विभागों, उपक्रमों आदि में निरीक्षणों के समय संबंधित कार्यालयों का ध्यान कमियों की ओर आकर्षित किया जाता रहा है।

मंत्रालयों/ विभागों की हिंदी सलाहकार समितियों, उनकी राजभाषा कार्यान्वयन समितियों, संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों के साथ ही विभिन्न बैंकों की राजभाषा कार्यान्वयन समितियों और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के माध्यम से कार्यान्वयन की प्रगति पर निरंतर नज़र रखी गई।

अनुवाद कार्य के क्षेत्र में, अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी पढ़ाने और टंककों/आशुलिपिकों को क्रमशः हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि में प्रशिक्षित करने के बारे में निरंतर प्रयास किए जाते रहे हैं। हालांकि कई कार्यालयों में आशानुकूल सफलता नहीं मिली है, फिर भी हमारे प्रयास निरंतर जारी हैं। वर्ष 2014-15 के दौरान राजभाषा विभाग द्वारा केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/सरकारी उपक्रमों, तथा बैंकों आदि के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए कम्प्यूटरों पर हिंदी में कार्य करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया।

इस रिपोर्ट के अध्याय-2 में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों में वर्ष 2014-15 के दौरान राजभाषा के कार्यान्वयन की स्थिति दी गई है। यह आशा की जाती है कि आगामी वर्षों में संबंधित कार्यालय इस रिपोर्ट में उल्लिखित कमियों को न केवल दूर करेंगे बल्कि पर्याप्त प्रगति भी करेंगे।

इससे पूर्व वर्ष 2013-14 की 45वीं मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करके संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी गई थी। उसी क्रम में अब वर्ष 2014-15 की 46वीं रिपोर्ट प्रस्तुत है। हमें विश्वास है कि यह मूल्यांकन हिंदी के प्रगामी प्रयोग को उचित दिशा देने में सहायक होगा तथा इससे हिंदी के प्रयोग में और तेजी आएगी।

जून, 2016.

राजभाषा विभाग  
गृह मंत्रालय, भारत सरकार  
नई दिल्ली

## CHAPTER-1

### THE OFFICIAL LANGUAGE POLICY OF THE UNION

#### Constitutional Position

According to Article 343(1) of the Constitution, Hindi in Devanagari script is the Official Language of the Union. However, clause 2 of Article 343 provided continued use of English for official purposes of the Union for a period of 15 years from the commencement of the Constitution i.e., till 26<sup>th</sup> January, 1965. It further provided that during the said period, the President may, by an order, authorize the use of Hindi, in addition to English, for any work specified in such order. Article 343(3) empowered Parliament by law to provide for the continued use of the English language for specified official purposes even after 26<sup>th</sup> January, 1965. In exercise of this authority the Official Languages Act, 1963 was passed enabling continued use of English beyond the said 15 years for the official purposes of the Union.

Article 344 of the Constitution provided for constituting a Commission by the President after the expiration of five years from the commencement of the Constitution and thereafter after 10 years from such commencement, consisting of a Chairman and such other members representing the different languages mentioned in the VIII schedule of the Constitution

The Commission was required to make recommendations to the President regarding -

- (a) the progressive use of the Hindi language for the official purposes of the Union;
- (b) restriction of the use of the English language for all or any of the official purposes of the Union;
- (c) the language to be used for all or any of the purposes mentioned in article 348;
- (d) the form of numerals to be used for any one or more specified purposes of the Union;
- (e) any other matter referred to the Commission by the President as regards the Official Language of the Union and the language for communication between the Union and a State or between one State and another and their use.

In making recommendations, the Commission should have due regard to the industrial, cultural and scientific advancement of India and just claims and interests of persons belonging to the non-hindi speaking areas in regard to the public services.

The Article 344 further provided for constituting a committee consisting of 30 members of Parliament - 20 from Lok Sabha and 10 from Rajya Sabha to be elected respectively by the members of two Houses in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote.

The Committee was mandated to examine the recommendations of the Commission and to report to the President their opinion thereon. The Official Language Commission was appointed in 1955 and it submitted its report in 1956. A Committee of Parliament was constituted in 1957 to examine the recommendations of the Commission. After considering the recommendations of the committee, a comprehensive Presidential order, dated 27<sup>th</sup> April, 1960 was issued.

#### Official Languages Act, 1963

With a view to giving effect to the recommendation of the Official Language Commission and the Parliamentary Committee for the continued use of English, Parliament passed the Official Languages Act, 1963, which was subsequently amended in 1967. Some of the important provisions of the amended Act are as follows:

- (1) According to Section 3(1) of the Act, even after 26<sup>th</sup> January, 1965, the English Language may continue to be used in addition to Hindi, (a) for all official purposes of the Union for which it was being used immediately before that day and (b) for the transaction of business in Parliament.
- (2) English shall be used for correspondence between Central Government and a State which has not adopted Hindi as its official language unless the later has accepted the use of Hindi for this purpose.

### संघ की राजभाषा नीति

#### सांविधानिक स्थिति

भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 (1) के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी संघ की राजभाषा है तथापि, संविधान के अनुच्छेद 343 की धारा 2 में 15 वर्ष की अवधि तक, अर्थात् 26 जनवरी, 1965 तक, सरकारी कामकाज में अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखने की व्यवस्था की गई थी। इसके अतिरिक्त संविधान में यह भी प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान किसी आदेश द्वारा अंग्रेजी के अतिरिक्त इस आदेश में विनिर्दिष्ट कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करने की अनुमति दे सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 343 (3) के अनुसार संसद को यह शक्ति प्रदान की गई थी कि वह अधिनियम पारित करके 26 जनवरी, 1965 के बाद भी विनिर्दिष्ट शासकीय कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रख सकती है। इस प्राधिकार का प्रयोग करते हुए राजभाषा अधिनियम, 1963 पारित किया गया, जिसमें संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी के प्रयोग को 15 वर्ष की अवधि बीतने के बाद भी जारी रखने की व्यवस्था की गई है।

संविधान के अनुच्छेद 344 में संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात् 10 वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग के गठन की व्यवस्था की गई है जिसमें एक अध्यक्ष और संविधान की अष्टम अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य सदस्य होंगे।

आयोग द्वारा राष्ट्रपति जी को निम्नलिखित के विषय में सिफारिश करनी थी:-

- (क) संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा का प्रगामी प्रयोग,
- (ख) संघ के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बंधन,
- (ग) अनुच्छेद 348 में उल्लिखित सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा,
- (घ) संघ के किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के रूप,
- (ङ.) संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच या एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्रादि की भाषा और उनके प्रयोग के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्देशित किए गए कोई अन्य विषय।

अपनी सिफारिशें करने में, आयोग भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का और लोक सेवाओं के संबंध में हिंदीतर भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्यायसंगत दावों और हितों का सम्यक ध्यान रखेगा।

अनुच्छेद 344 के अंतर्गत 30 संसद सदस्यों की एक समिति के गठन की व्यवस्था की गई है। समिति में 20 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्य सभा से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे।

समिति को आयोग की सिफारिशों की जांच करने और राष्ट्रपति जी को उसके बारे में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का दायित्व सौंपा गया है।

सन् 1955 में राजभाषा आयोग की स्थापना हुई और उसने अपना प्रतिवेदन 1956 में प्रस्तुत किया। आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए 1957 में एक संसदीय समिति की स्थापना की गई। संसदीय समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद 27 अप्रैल, 1960 को राष्ट्रपति जी का विस्तृत आदेश जारी किया गया।

#### राजभाषा अधिनियम, 1963

राजभाषा आयोग और संसदीय समिति की अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने की सिफारिश को कार्यरूप देने के लिए सन् 1963 में संसद द्वारा राजभाषा अधिनियम पारित किया गया जिसे बाद में 1967 में संशोधित किया गया। संशोधित अधिनियम के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान इस प्रकार हैं-

- (1) अधिनियम की धारा 3(1) के अनुसार (क) संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए जिनके लिए 26 जनवरी, 1965 के पूर्व अंग्रेजी का प्रयोग किया जा रहा था और (ख) संसद में कार्य निष्पादन के लिए, 26 जनवरी, 1965 के बाद भी हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जा सकेगा।
- (2) केंद्र सरकार और हिंदी को राजभाषा के रूप में न अपनाने वाले किसी राज्य के बीच पत्राचार अंग्रेजी में होगा, जब तक कि उस राज्य ने उसके लिए हिंदी का प्रयोग करना स्वीकार न कर लिया हो।



Similarly, Governments of Hindi-speaking States would correspond with such States in English and if any communication is sent in Hindi, it shall be accompanied by an English translation thereof. However, there would be no objection to any two States corresponding in Hindi, with mutual consent.

(3) Hindi in prescribed proportions will be used for communication between the Central Government offices etc., but in region 'C' a translation in the English language shall be provided until staff in the offices concerned acquired a working knowledge of Hindi.

(4) According to Section 3(3) of the Act, the use of both Hindi and English is obligatory for the following documents:-

1. Resolutions 2.General Orders 3.Rules 4. Notifications 5. Administrative and other Reports 6.Press-Communiques 7. Official papers to be laid before a house or Houses of Parliament 8. Contracts 9. Agreements 10. Licenses 11.Permits 12.Tender notices and 13. Forms of tender.

(5) According to Section 3(4), while framing rules under the Act, it shall be ensured that a Central Government employee who has proficiency in only one language- either Hindi or English can function effectively, and that he is not placed at a disadvantage on the ground that he does not have proficiency in both the languages.

(6) Section 3(5) of the said Act provides that provisions relating to the use of English for the various purposes mentioned above shall remain in force until legislatures of all such States which have not adopted Hindi as their official language, have passed a resolution for the discontinuance of the use of English and until after considering these resolutions, a resolution to that effect is also passed by each House of Parliament.

(7) Section 4 of the Act provides for the Constitution of a Committee of Parliament on Official Language after 26<sup>th</sup> January, 1975. The Committee shall comprise 30 members 20 from Lok Sabha and 10 from Rajya Sabha. It shall be the duty of the committee to review the progress made in the use of Hindi for the official purposes of the Union and submit a report making recommendations to the President. This Committee was constituted in 1976 and is functioning at present. Presidential orders on the 8th part of the report of the committee have been issued on 02.07.2008.

(8) According to Section 7 of the Act, the Governor of a State may, with the prior consent of the President, authorise the use of Hindi or the official language of the State, in addition to the English language, for the purposes of any judgement, decree or order passed or made by the High Court for the State. However, where any judgement, decree or order is passed or made in language other than the English language, it shall be accompanied by a translation of the same in the English language, issued under the authority of the High Court. So far the Governors of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan and Bihar have obtained the President's consent and authorised the use of Hindi in the High Courts for these States.

#### Official Language Resolution, 1968

In December, 1967, both the Houses of Parliament adopted a Resolution on the Official Language Policy of the Government which was notified on 18<sup>th</sup> January, 1968. According to para 1 of the Resolution, the Central Government is required to prepare and implement a more intensive and comprehensive programme for accelerating the spread and development of Hindi as also to ensure its progressive use for the official purposes of the Union. The Central Government is also required to lay an Annual Assessment Report on the Table of both Houses of Parliament giving details of measures taken and the progress achieved in this regard. Necessary action in this regard has been taken continuously and presently 46<sup>th</sup> report is being presented in the series.

#### Official Languages Rules, 1976

In exercise of the powers conferred by the Official Languages Act, 1963, the Official Languages (Use for the Official Purposes of the Union) Rules, 1976 were framed in the year 1976. The framing of these Rules is a very important step towards the progressive use of Hindi for the official purposes of the Union. Some important provisions of these rules are as follows:-

(a) Communication from a Central Government office to a State located in region 'A' (viz. The States of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Bihar, Rajasthan, Haryana, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Chhattisgarh, Jharkhand and the Union Territories of Delhi and Andaman & Nicobar Islands) or to any office (other than a Central Government office) or a person residing therein shall be in Hindi. If in any exceptional case, any communication is sent in English, it shall be accompanied by a Hindi translation thereof.

इसी प्रकार हिंदी भाषी राज्यों की सरकारें भी ऐसे राज्यों की सरकारों के साथ अंग्रेजी में पत्राचार करेंगी और यदि वे ऐसे राज्यों को कोई पत्र हिंदी में भेजती हैं तो साथ में उसका अंग्रेजी अनुवाद भी भेजेगी। पारस्परिक सहमति से यदि कोई दो राज्य आपसी पत्राचार में हिंदी का प्रयोग करें तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

(3) केंद्र सरकार के कार्यालयों आदि के बीच पत्र-व्यवहार के लिए निर्धारित अनुपात में हिंदी का प्रयोग किया जाएगा लेकिन 'ग' क्षेत्र में तब तक पत्रादि का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद उपलब्ध कराया जाता रहेगा जब तक संबंधित कार्यालयों के कर्मचारी हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त न कर लें।

(4) अधिनियम की धारा 3 (3) के अनुसार निम्नलिखित दस्तावेजों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग अनिवार्य है:-

1.संकल्प 2.सामान्य आदेश 3. नियम 4.अधिसूचनाएं 5. प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टें 6. प्रेस विज्ञप्तियां 7. संसद के किसी सदन या दोनों सदनों के समक्ष रखे जाने वाले सरकारी कागजात 8. संविदाएं 9. करार 10. अनुज्ञप्तियां 11. अनुज्ञा पत्र 12. टेंडर नोटिस और 13. टेंडर फार्म।

(5) धारा 3 (4) के अनुसार, अधिनियम के अधीन नियम बनाते समय यह सुनिश्चित कर लेना होगा कि केंद्र सरकार का कोई कर्मचारी हिंदी या अंग्रेजी में से किसी एक ही भाषा में प्रवीण होने पर भी अपना सरकारी कामकाज प्रभावी ढंग से कर सके और केवल इस आधार पर उसका कोई अहित न हो कि वह दोनों भाषाओं में प्रवीण नहीं है।

(6) उक्त अधिनियम की धारा 3 (5) में यह उपबंध किया गया है कि उपर्युक्त विभिन्न प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने संबंधी व्यवस्था तब तक जारी रहेगी जब तक हिंदी को राजभाषा के रूप में न अपनाने वाले सभी राज्यों के विधान मंडल अंग्रेजी का प्रयोग समाप्त करने के लिए आवश्यक संकल्प पारित न कर लें और इन संकल्पों पर विचार करने के बाद संसद का प्रत्येक सदन भी इसी आशय का संकल्प पारित न कर दे।

(7) उक्त अधिनियम की धारा 4 में 26 जनवरी, 1975 के बाद एक संसदीय राजभाषा समिति के गठन का प्रावधान है। इस समिति में 30 सदस्य होंगे जिनमें से 20 लोक सभा सदस्य और 10 राज्य सभा सदस्य होंगे। समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करे और अपनी सिफारिशों सहित अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करे। समिति का वर्ष 1976 में गठन किया गया था और यह इस समय कार्यरत है। समिति की रिपोर्ट के 8वें खंड पर दिनांक 02.07.2008 को राष्ट्रपति जी का आदेश जारी कर दिया गया है।

(8) अधिनियम की धारा 7 के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए अथवा पारित किए गए किसी निर्णय, डिक्री अथवा आदेश के लिए अंग्रेजी भाषा के अलावा, हिंदी अथवा उस राज्य की राजभाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकता है। तथापि, यदि कोई निर्णय, डिक्री या आदेश अंग्रेजी से भिन्न किसी भाषा में दिया गया या पारित किया जाता है तो उसके साथ-साथ संबंधित उच्च न्यायालय के प्राधिकार से अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद भी दिया जाएगा। अब तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार के राज्यपालों ने राष्ट्रपति जी की सहमति ले ली है और अपने-अपने उच्च न्यायालयों में हिंदी के प्रयोग की अनुमति दे दी है।

#### **राजभाषा संकल्प, 1968**

दिसम्बर, 1967 में संसद के दोनों सदनों ने सरकार की भाषा नीति के संबंध में एक संकल्प भी पारित किया जिसे 18 जनवरी, 1968 को अधिसूचित किया गया। संकल्प के पैरा 1 के अनुसार केंद्र सरकार हिंदी के प्रसार तथा विकास और संघ के विभिन्न सरकारी प्रयोजनों के लिए उसके प्रयोग में तेजी लाने के लिए एक अधिक गहन और विस्तृत कार्यक्रम तैयार करके उसे कार्यान्वित करेगी। केंद्र सरकार इस संबंध में किए गए उपायों तथा उनमें हुई प्रगति का ब्यौरा देते हुए एक वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट भी संसद के दोनों सदनों के पटल पर प्रस्तुत करेगी। इस संबंध में निरंतर कार्रवाई की जाती रही है और इसी क्रम में 46वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है।

#### **राजभाषा नियम, 1976**

राजभाषा अधिनियम, 1963 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1976 में राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 बनाए गए। सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग की दिशा में इन नियमों का जारी किया जाना एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। नियमों के कुछ महत्वपूर्ण उपबंध इस प्रकार हैं:-

(क) केंद्र सरकार के कार्यालयों से "क" क्षेत्र में स्थित किसी राज्य (जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तरा खंड, छत्तीसगढ़, झारखंड राज्य और संघ शासित क्षेत्र दिल्ली तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह) को या ऐसे राज्यों में स्थित किसी अन्य कार्यालय (केंद्र सरकार के कार्यालय के अलावा) या वहां रहने वाले किसी व्यक्ति को भेजे जाने वाले पत्र हिंदी में भेजे जाएंगे। यदि किसी विशेष मामले में, कोई पत्र अंग्रेजी में भेजा जाता है तो उसका हिंदी अनुवाद भी साथ भेजा जाएगा।

(b) Communications from a Central Government office to a State located in region 'B' (viz the States of Punjab, Gujarat and Maharashtra and the Union Territory of Chandigarh) shall ordinarily be in Hindi. If any such communication is sent in English, it shall be accompanied by a Hindi translation thereof. However, communication to any person residing in these States may be in Hindi or English. However, according to the targets fixed in the Annual Programme, communications are required to be sent in Hindi to the individuals in region 'B' also.

(c) Communications from a Central Government office to any person or office in a State located in region 'C' (viz., all States and Union Territories not covered in Regions 'A' & 'B') shall be in English. If any such communication is sent in Hindi, it will be accompanied by the English translation thereof.

(d) Communications between one Ministry or Department of the Central Government and another may be in Hindi or in English. However, communication between a Ministry/Department of the Central Government and the Attached and Subordinate Offices located in Region 'A' shall be in Hindi in such proportion as the Government may prescribe from time to time.

(e) Communications received in Hindi shall compulsorily be replied in Hindi. Whenever any application, appeal or representation is received in Hindi or is signed in Hindi, reply thereto is also to be sent in Hindi.

(f) Both Hindi & English shall be used for all documents, specified in Section 3(3) of the Official Languages Act, 1963 and it shall be the responsibility of the Officer signing such documents to ensure that these are issued both in Hindi and English.

(g) A Central Government employee may use either Hindi or English for noting on files without being required to furnish a translation thereof in the other language.

(h) All manuals, codes, rules, and other procedural literature relating to Central Government offices, shall be prepared and published both in Hindi and English in diglot form. All forms and headings of registers, name plates, stamps, notice-boards and other items of stationery etc., shall also be in Hindi and English.

(i) Names of offices, where 80 percent or more of the staff possess working knowledge of Hindi shall be notified under Rule 10(4) of the Official Languages rules 1976 in the official gazette. Further, in the offices so notified, staff who have attained proficiency in Hindi may by order be asked to use only Hindi for noting/drafting and such other purposes as specified in the order, under Rule 8(4) of the Official Languages rules 1976.

(j) It shall be the responsibility of the Administrative Head of every office to ensure that the provisions of the Official Languages Act and the Rules are properly complied with and suitable and effective check-points for the purpose in their offices are devised.

The Official Language Policy of the Union is based on the constitutional and statutory provisions mentioned above and its implementation is ensured by issuing orders/ instructions from time to time.

(ख) केंद्र सरकार के कार्यालयों से 'ख' क्षेत्र में स्थित किसी राज्य (जैसे पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़) को भेजे जाने वाले पत्र सामान्यतः हिंदी में भेजे जाएंगे। यदि ऐसा कोई पत्र अंग्रेजी में भेजा जाता है तो उसका हिंदी अनुवाद भी साथ भेजा जाएगा, तथापि इन राज्यों में रहने वाले किसी व्यक्ति को हिंदी या अंग्रेजी में पत्र भेजे जा सकते हैं। तथापि, वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार 'ख' क्षेत्र में व्यक्तियों को भी पत्रादि हिंदी में भेजे जाने अपेक्षित हैं।

(ग) केंद्र सरकार के कार्यालय से 'ग' क्षेत्र में स्थित किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र क और ख क्षेत्र में शामिल न होने वाले सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र) के किसी कार्यालय को या व्यक्ति को पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाएंगे। यदि ऐसा कोई पत्र हिंदी में भेजा जाता है तो उसका अंग्रेजी अनुवाद भी साथ भेजा जाएगा।

(घ) केंद्र सरकार के एक मंत्रालय या विभाग और दूसरे मंत्रालय या विभाग के बीच पत्र-व्यवहार हिंदी या अंग्रेजी में किया जा सकता है। तथापि, केंद्र सरकार के किसी मंत्रालय/विभाग और "क" क्षेत्र में स्थित संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के बीच होने वाला पत्र-व्यवहार सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित अनुपात में हिंदी में होगा।

(ङ.) हिंदी में प्राप्त पत्रों आदि का उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में ही दिया जाएगा। हिंदी में लिखे या हिंदी में हस्ताक्षर किए गए आवेदनों, अपीलों या अभ्यावेदनों का उत्तर भी हिंदी में दिया जाएगा।

(च) राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) में निर्दिष्ट सभी दस्तावेजों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा और इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की होगी।

(छ) केंद्र सरकार का कोई भी कर्मचारी फाइलों में टिप्पण लिखने में हिंदी या अंग्रेजी का प्रयोग कर सकता है और उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह उसका अनुवाद दूसरी भाषा में भी प्रस्तुत करे।

(ज) केंद्र सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी मैनुअल, संहिताएं, नियम और अन्य प्रक्रिया साहित्य हिंदी और अंग्रेजी दोनों में द्विभाषिक रूप में तैयार और प्रकाशित किए जाएंगे। सभी प्रपत्रों और रजिस्ट्रों के शीर्ष, नामपट्ट, मुहरें, सूचना पट्ट, स्टेशनरी आदि की अन्य मर्दें भी हिंदी और अंग्रेजी में होंगी।

(झ) जिन कार्यालयों के 80 प्रतिशत या उससे अधिक कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है, उन्हें राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10 (4) के अधीन राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, इस प्रकार अधिसूचित कार्यालयों के हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों/ कर्मचारियों से राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8(4) के अधीन आदेश जारी करके टिप्पण/मसौदा लेखन और आदेश में विनिर्दिष्ट अन्य प्रयोजनों के लिए केवल हिंदी का प्रयोग करने के लिए कहा जा सकता है।

(ञ) प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह दायित्व होगा कि वह राजभाषा अधिनियम और उसके अधीन बने नियमों का समुचित रूप से अनुपालन सुनिश्चित करे और अपने कार्यालय में उपयुक्त और प्रभावकारी जांच-बिंदु बनवाए।

संघ की राजभाषा नीति उपर्युक्त सांविधानिक और सांविधिक प्रावधानों पर आधारित है और समय-समय पर आदेश/अनुदेश जारी करके राजभाषा नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाता है।

## Chapter-2

### Part-A

**Ministries/Departments from where data regarding implementation of Official Language policy for the year 2014-15 have been received.**

<b>Code No.</b>	<b>Ministry/Department</b>	<b>Code No.</b>	<b>Ministry/Department</b>
1.	Deptt. of Space	26.	Ministry of Parliamentary Affairs
2.	Ministry of Coal	27.	Ministry of Information and Broadcasting
3.	Ministry of Mines	28.	Cabinet Secretariat
4.	Ministry of Social Justice & Empowerment	29.	Ministry of Food Processing Industries
5.	Ministry of Personnel, Public Grievance and Pension	30.	Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises, Deptt. of Heavy Industries
6.	Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Deptt. of food and public Distribution	31.	Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises, Deptt. of Public Enterprises
7.	Ministry of Consumer Affairs Food and Public Distribution, Deptt. of Consumer Affairs	32.	Ministry of Steel
8.	Ministry of Home Affairs	33.	Ministry of New and Renewable energy
9.	Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation	34.	Ministry of Power
10.	Department of Atomic Energy	35.	Ministry of Agriculture, D/o Agriculture & Co-operation
11.	Ministry of Environment, Forest and Climate change	36.	Department of Agricultural Research & Education
12.	Ministry of Human Resource Development	37.	Department of Animal Husbandary, Dairies and Fisheries
13.	Ministry of Earth Science	38.	Ministry of Statistics & Programme Implementation
14.	NITI Aayog	39.	Department of Indian Accounts & Audit
15.	Ministry of Railways (Railway Board)	40.	Ministry of Shipping
16.	Ministry of External Affairs	41.	Ministry of Road Transport and Highways
17.	Ministry of Law and Justice, Legislative Deptt.	42.	Ministry of Civil Aviation
18.	Ministry of Law and Justice, Deptt. of Legal Affairs	43.	Ministry of Chemicals & Fertilizers, Deptt. of chemicals and Petro chemicals
19.	Ministry of Finance, Deptt. of Expenditure	44.	Ministry of Chemicals & Fertilizers, Deptt. of Fertilizer
20.	Ministry of Finance, Deptt. of Disinvestment	45.	Ministry of Chemicals & Fertilizers, Deptt. of Pharmaceuticals
21.	Ministry of Finance, Deptt. of Revenue	46.	Ministry of Defence, Deptt. of Defence, Deptt. of Defence Research & Development and Ex-servicemen Welfare Deptt.
22.	Ministry of Finance, Deptt. of Economic Affairs	47.	Ministry of Defence (Finance)
23.	Ministry of Finance, Deptt. of Financial Services	48.	Deptt. of Defence production
24.	Ministry of Health and Family welfare	49.	Ministry of Commerce & Industries, Deptt. of Commerce
25.	Ministry of AYUSH	50.	Ministry of Commerce & Industries, Deptt. of Supply

## अध्याय-2

### भाग-क

विभिन्न मंत्रालय/विभाग/कार्यालय जिनसे वर्ष 2014-15 के राजभाषा नीति के कार्यान्वयन संबंधी आंकड़े प्राप्त हुए हैं ।

कोड सं.	मंत्रालय/ विभाग	कोड सं.	मंत्रालय/ विभाग
1.	अंतरिक्ष विभाग	26	संसदीय कार्य मंत्रालय
2.	कोयला मंत्रालय	27	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
3.	खान मंत्रालय	28	मंत्रिमंडल सचिवालय
4.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	29	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
5.	कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय	30	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग
6.	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	31	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग
7.	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग	32	इस्पात मंत्रालय
8.	गृह मंत्रालय	33	नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय
9.	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	34	विद्युत मंत्रालय
10.	परमाणु ऊर्जा विभाग	35	कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग
11.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	36	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग
12.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	37	पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग
13.	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	38	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
14.	नीति आयोग	39	भारतीय लेखा और लेखा परीक्षा विभाग
15.	रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)	40	पोत परिवहन मंत्रालय
16.	विदेश मंत्रालय	41	सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय
17.	विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग	42	नागर विमानन मंत्रालय
18.	विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग	43	रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग
19.	वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग	44	रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग
20.	वित्त मंत्रालय, विनिवेश विभाग	45	रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, औषध विभाग
21.	वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग	46	रक्षा मंत्रालय के रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग और भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग
22.	वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग	47	रक्षा मंत्रालय (वित्त)
23.	वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग	48	रक्षा उत्पादन विभाग
24.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	49	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग
25.	आयुष मंत्रालय	50	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, पूर्ति विभाग

**Data regarding implementation of Official Language policy, received from various  
Ministries/Departments/Offices for the year 2014-15**

<b>Code No.</b>	<b>Ministry/Department</b>	<b>Code No.</b>	<b>Ministry/Department</b>
51	Deptt. of Supply, DGS&D (HQ)	66	Ministry of Tourism
52	Deptt. of Industrial Policy and Promotion	67	Ministry of Culture
53	Ministry of Science and Technology, Deptt. of Science and Technology	68	Ministry of Tribal Affairs
54	Ministry of Science and Technology, Deptt. of Bio-Technology	69	Election Commission of India
55	Ministry of Science and Technology, Deptt. of Scientific and Industrial Research	70	Ministry of Panchayati Raj
56	Ministry of Textile	71	Ministry of Youth Affairs and Sports
57	Ministry of Urban Development	72	Ministry of North-Eastern Region Development
58	Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation	73	Ministry of Minority Affairs
59	Ministry of Communication and Information Technology, Deptt. of Tele Communication	74	Ministry of Overseas Indian Affairs
60	Ministry of Communication and Information Technology, Deptt of Electronics and Information Technology	75	Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises
61	Ministry of Communication and Information Technology, Deptt. of Post	76	Ministry of Petroleum and Natural Gas
62	Ministry of Labor and Employment	77	Ministry of Corporate Affairs
63	Union Public Service Commission	78	Ministry of Women and Child Development
64	Ministry of Rural Development, Deptt of Rural Development	79	Ministry of Drinking Water and Sanitation
65	Ministry of Rural Development, Department of Land Resources		

अध्याय-2 (जारी.....)

भाग-क

विभिन्न मंत्रालय/विभाग/कार्यालय जिनसे वर्ष 2014-15 के राजभाषा नीति के कार्यान्वयन संबंधी आंकड़े प्राप्त हुए हैं

कोड सं.	मंत्रालय/ विभाग	कोड सं.	मंत्रालय/ विभाग
51	पूर्ति विभाग, डी जी एस एंड डी (मुख्यालय)	66	पर्यटन मंत्रालय
52	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	67	संस्कृति मंत्रालय
53	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	68	जनजातीय कार्य मंत्रालय
54	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बायोटेक्नोलॉजी विभाग	69	भारत निर्वाचन आयोग
55	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग	70	पंचायती राज मंत्रालय
56	वस्त्र मंत्रालय	71	युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
57	शहरी विकास मंत्रालय	72	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय
58	आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	73	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
59	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग	74	प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय
60	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	75	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
61	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, डाक विभाग	76	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
62	श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय	77	कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
63	संघ लोक सेवा आयोग	78	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
64	ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग	79	पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
65	ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग		



**विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों से प्राप्त वर्ष 2014-15 की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन संबंधी आंकड़े**

कोड सं./क्षेत्र	मंत्रालय / विभाग और उसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों का नाम	राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी कागजात		हिंदी में पत्राचार			हिंदी में भेजे गए पत्र
		कुल संख्या	केवल अंग्रेजी में	कुल हिंदी में प्राप्त पत्र	हिंदी में दिए गए उत्तर	अंग्रेजी में दिए गए उत्तर	
Code No/ Region	Name of Min/Deptt and its attached / subordinate Offices	Papers issued u/s 3(3) of the Official Language Act		Correspondence in Hindi			Original including
		Total No.	Only in English	Total no. of letters received	Letters replied to in Hindi	Letters replied to in English	Letters issued in Hindi
		(क)	(ख)	(क)	(ख)	(ग)	(क)
		(a)	(b)	(a)	(b)	(c)	(a)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	(ग) अंतरिक्ष विभाग (सचिवालय) (C) Deptt. Of Space (Secretariate)	410	0	1397	1298	0	5360
1.1	(ख) अंतरिक्ष उपयोगिता केंद्र, अहमदाबाद (B) Space Application Centre, Ahmadabad	6184	0	441	231	0	6398
1.2	(ग) अंतरिक्ष विभाग के केंद्र (C) Centre of Deptt. Of Space	25856	0	3190	2172	0	12033
2	(क) कोयला मंत्रालय (मुख्या.) (A) Ministry of Coal (H.Q)	2518	0	1655	0	0	3721
2.1	(क) कोयला मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Office of M/o Coal	50953	0	262743	209426	0	469860

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों से प्राप्त वर्ष 2014-15 की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन संबंधी आंकड़े

मूल पत्राचार (तार/टेलिक्स/फैक्स सहित)		टंकक/ आशुलिपिक					इलेक्ट्रॉनिक/ यांत्रिक उपकरण आदि			कोड/ मैनुअल/फार्म/ प्रकाशन आदि				राजभाषा कार्यान्वय समिति की बैठकें
अंग्रेजी में भेजे गए पत्र	द्विभाषी भेजे गए पत्र	कुल सं.	जो हिंदी टंकण/ आशुलिपि जानते हैं	जो अंग्रेजी टंकण/ आशुलिपि जानते हैं	जो दोनों जानते हैं	कुल कार्य की तुलना में हिंदी कार्य का प्रतिशत	कुल संख्या	देवनागरी	द्विभाषी	कुल संख्या	द्विभाषी	केवल अंग्रेजी में	केवल हिंदी में	
Correspondence Telegram/Telex/Fax		Typist/ Stenographers					Mechanical/ Electronic equipments etc.			Code/ Manuals/ Forms/Publications etc				Meetings of OLIC
Letters issued in English	Letters issued bilingually	Total No.	No. of knowing Hindi typing/ Steno- graphy	No. of knowing English typing/ Steno- graphy	No. of Knowing both	Percentag of Hindi work to that of total work	Total No.	Deva nagari	Bilingu al	Total No.	Bilingual	Only in English	Only in Hindi	
(ख)	(ग)	(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(इ)	(क)	(ख)	(ग)	(क)	(ख)	(ग)	(घ)	
(b)	(c)	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(a)	(b)	(c)	(a)	(b)	(c)	(d)	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
534	0	128	128	128	128	100	570	285	285	113	110	0	3	4
780	363	142	134	142	134	94	622	435	187	185	183	0	2	4
17113	37917	1109	917	1102	917	83	5614	2807	2807	851	790	37	24	4
6419	3721	20	-	-	20	100	159	159	-	18	18	-	-	4
70920	29568	1044	-	762	896	85.8	6656	6599	-	1008	791	15	202	4

1	2	3	4	5	6	7	8
2.2	(ख) कोयला मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Office of M/o Coal	39605	104	29311	0	0	33281
2.3	(ग) कोयला मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Office of M/o Coal	45349	3523	13980	9685	0	79141
3	(क) खान मंत्रालय (A) Ministry of Mines	739	0	1545	1017	0	6365
3.1	(क) खान मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Office under Ministry of Mines	4766	0	38345	22854	0	73359
3.2	(ख) खान मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Office under Ministry of Mines	2371	0	22261	12466	0	52482
3.3	(ग) खान मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Office under Ministry of Mines	892	0	7639	2335	0	31882
4	(क) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (A) M/o Social Justice & Empowerment	4962	1901	2555	2261	294	6653
5	(क) कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (मुख्या.) (A) Ministry of Personnel, Pub. Grievances & Pensions Deptt. of Personnel & Training.	22757	0	6390	5218	0	17128
5.1	(क) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय (A) Office of Deptt of Personnel and Training	6427	0	6696	5621	0	18576
5.2	(क) पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (A) Deptt of pension and pensioners welfare	10	0	769	0	0	4250
5.3	(क) प्रशासनिक और लोक शिकायत विभाग (A) Deptt. of Administrative Reforms and Public Grievances	1684	0	439	439	1	2911
6	(क) उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (मु.) (A) Ministry of consumer Affairs, Food & Public Distribution, Deptt. Of Food & Public Distribution (HQ)	8221	0	5461	2209	0	44236
6.1	(क) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के कार्यालय (A) Offices of D/o Food & Public Distribution	648	0	21562	9781	0	109713
6.2	(ख) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के कार्यालय (B) Offices of D/o Food & Public Distribution	39	0	172	84	0	688

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
23241	10040	84	-	19	65	75	567	567	-	119	118	-	1	4
59642	31808	370	-	333	138	37.2	4953	4953	-	963	436	482	8	4
5861	0	17	0	7	10	59	152	2	150	28	28	0	0	4
13425	105	166	0	48	118	71	1186	0	1110	972	687	154	131	4
18519	1009	124	0	27	97	78	699	0	535	246	236	9	1	4
19385	1235	229	0	144	85	35	1834	0	1213	500	435	59	6	4
10139	3486	62	-	-	62	-	205	205	-	40	40	-	-	0
37389	15251	92	19	73	19	21	693	-	690	316	316	0	0	0
27277	16580	111	81	91	60	64	810	-	750	210	201	3	6	4
2769	4250	9	4	9	4	44	51	-	51	43	43	0	0	1
3137	-	16	4	4	12	25	99	1	5	25	25	0	0	1
14476	0	45	41	4	41	-	381	0	381	27	26	0	1	3
20320	0	110	-	-	110	-	1207	0	1207	135	135	0	2	4
702	0	2	0	0	0	-	2	0	2	0	0	0	0	4

1	2	3	4	5	6	7	8
6.3	(ग) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के कार्यालय (C) Offices of D/o Food & Public Distribution	162	0	197	89	0	1238
7	(क) उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग (मु.) (A) Ministry of consumer Affairs, Food & Public Distribution, Deptt. of Consumer Affairs (H.Q)	7078	0	2143	0	0	19032
7.1	(क) उपभोक्ता मामले विभाग के अधीन कार्यालय (A) Offices under Deptt. Of Consumer Affairs	92440	0	3867	3867	0	77427
7.2	(ग) उपभोक्ता मामले विभाग के अधीन कार्यालय (C) Offices under Deptt. Of Consumer Affairs	703	0	166	137	0	2387
8	(क) गृह मंत्रालय (A) Ministry of Home Affairs	587	-	19397	19207	-	37581
8.1	(क) गृह मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Ministry of Home Affairs	385968	-	1801761	1617678	-	2512615
8.2	(ख) गृह मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Ministry of Home Affairs	24368	2765	67784	53067	3412	64146
8.3	(ग) गृह मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Ministry of Home Affairs	32004	407	165863	121112	17	198632
9	(क) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय (मु0) (A) M/o Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation (HQ)	7379	0	3128	3128	0	23570
9.1	(क) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under M/o Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation (HQ)	5359	0	13494	6188	0	51899
9.2	(ख) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Offices under M/o Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation (HQ)	438	0	943	203	0	7519
9.3	(ग) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Offices under M/o Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation (HQ)	1802	0	724	328	0	950

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1193	0	1	-	-	1	-	3	0	3	0	0	0	0	4
7190	0	36	36	36	36	100	115	-	115	64	64	0	0	4
19422	2209	103	67	35	67	65	653	-	653	1183	1114	69	0	4
4516	591	35	12	35	12	34	53	-	39	18	11	7	0	4
23626	37581	277	81	196	81	29	1431	-	1431	155	155	-	-	3
792881	-	6075	668	3980	5131	84	9250	-	8784	17808	2942	9326	5540	3
18464	2931	271	7	59	236	87	312	-	271	1181	648	312	221	4
79590	257	387	121	250	317	82	1251	-	869	797	613	12	172	4
14914	23570	17	13	13	13	76	330	0	330	92	92	0	0	4
14916	24053	153	92	142	129	84	641	23	618	350	338	4	8	4
2578	572	43	21	27	31	72	641	310	331	63	63	0	0	4
4099	5517	87	62	87	66	76	150	13	135	74	67	0	7	4

1	2	3	4	5	6	7	8
10	(ख) परमाणु ऊर्जा विभाग (मु.) (B) Deptt. of Atomic Energy (Hq.)	2268	0	6267	1373	0	36005
10.1	(क) परमाणु ऊर्जा विभाग के यूनिट/उपक्रम /संस्थान (A) Units/Undertakings/Institutions of D/o Atomic Energy	37793	-	10086	6718	-	75627
10.2	(ख) परमाणु ऊर्जा विभाग के यूनिट/उपक्रम /संस्थान (B) Units/Undertakings/Institutions of D/o Atomic Energy	65216	154	25980	11837	-	61171
10.3	(ग) परमाणु ऊर्जा विभाग के यूनिट/उपक्रम /संस्थान (C) Units/Undertakings/Institutions of D/o Atomic Energy	70894	3118	4766	2522	28	23327
11	(क) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (मु.) (A) Ministry of Environment & Forest(HQ)	5537	0	4483	3926	0	74158
11.1	(क) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन कार्यालय कार्यालय (A) Offices of M/o Environment & Forest	4073	0	10964	9837	0	18437
11.2	(ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन कार्यालय कार्यालय (B) Offices of M/o Environment & Forest	3247	0	4273	3129	0	2467
11.3	(ग) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन कार्यालय कार्यालय (C) Offices of M/o Environment & Forest	1629	0	2356	1347	0	4186
12	(क) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग (A) M/o H R D, Deptt. of Higher Education	12842	0	7282	7282	0	42108
12.1	(क) उच्चतर शिक्षा विभाग के अधीन कार्यालय (A) Offices of M/o H R D, Deptt. of Higher Education	284952	52420	163852	154532	9320	394096
12.2	(ख) उच्चतर शिक्षा विभाग के अधीन कार्यालय (B) Offices of M/o H R D, Deptt. of Higher Education	32344	18332	1204	1204	0	109120
12.3	(ग) उच्चतर शिक्षा विभाग के अधीन कार्यालय (C) Offices of M/o H R D, Deptt. of Higher Education	10220	5111	990	990	0	12012
13	(क) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (A) Ministry of Earth Science	4696	0	2820	0	0	13621
14	(क) नीति आयोग (A) NITI AYOOG	4265	0	3398	2016	0	6463

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
25744	0	52	-	52	41	50	350	350	350	77	75	2	0	4
34805	12304	356	-	329	345	71	3908	3483	3462	950	939	4	7	4
94474	44969	1120	-	912	957	53	9669	8323	8151	1955	1566	156	21	4
49969	8951	551	-	383	252	39	5305	4718	4423	2194	2067	114	17	4
47729	3465	85	73	0	73	86	618	380	380	104	104	0	0	4
23651	1319	221	167	49	162	73	7098	6057	6057	219	219	0	0	4
7541	1736	62	35	29	23	35	1672	781	781	102	102	0	0	4
10983	2674	106	35	69	72	68	794	418	418	331	331	0	0	4
36985	0	71	43	28	0	0	680	-	680	40	40	0	0	4
329740	0	920	521	399	0	0	605	-	605	661	661	0	0	4
75864	0	210	95	105	0	0	421	-	421	205	205	0	0	4
5601	0	60	20	0	0	0	60	-	60	25	25	0	0	4
2627	0	14	12	14	12	86	183	1	180	50	40	0	10	4
12074	0	177	20	107	50	28	740	-	621	63	63	0	0	4



1	2	3	4	5	6	7	8
14.1	(क) नीति आयोग के अधीन कार्यालय (A) Offices under NITI AYOOG	5193	1146	4941	3635	6	9936
14.2	(ख) नीति आयोग के अधीन कार्यालय (B) Offices under NITI AYOOG	4478	888	1009	591	0	2739
14.3	(ग) नीति आयोग के अधीन कार्यालय (C) Offices under NITI AYOOG	1190	751	698	419	0	637
15	(क) रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) (A) Ministry of Railways, (Railway Board)	9176	0	55696	55696	0	57209
15.1	(क) रेल मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices of M/o Railways	256801	0	965162	965162	0	1232960
15.2	(ख) रेल मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Offices of M/o Railways	97706	0	221089	221089	0	496153
15.3	(ग) रेल मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Offices of M/o Railways	160034	0	50707	50707	0	259212
16	(क) विदेश मंत्रालय (A) Ministry of External Affairs	3829	0	494	494	0	4388
17	(क) विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग (मु0) (A) M/o Law & Justice, Legislative Department (HQ)	4406	0	5135	5135	0	7832
18	(क) विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग (मु0) (A) M/o Law & Justice, Department of Legal Affairs (HQ)	7778	0	8031	8031	0	4630
18.1	(क) विधि कार्य विभाग के अधीन कार्यालय (A) Offices under Department of Legal Affairs	494	0	4957	2981	0	25046
18.2	(ख) विधि कार्य विभाग के अधीन कार्यालय (B) Offices under Department of Legal Affairs	242	0	12290	10282	0	37414
18.3	(ग) विधि कार्य विभाग के अधीन कार्यालय (C) Offices under Department of Legal Affairs	262	0	1351	866	0	10390

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1423	3171	37	0	18	19	51	814	86	587	112	63	35	14	4
540	1084	12	0	8	4	33	261	14	218	58	58	0	0	4
7129	1260	17	0	12	5	29	249	39	144	82	82	0	0	4
15758	0	279	175	104	0	0	3231	-	3231	737	611	1	125	4
17309	0	5638	5609	29	0	0	17103	-	17071	5649	5645	4	0	4
33588	0	1660	1628	32	0	0	9382	-	9382	965	959	6	0	4
135749	0	5986	3141	2638	0	0	15864	-	15799	2790	2788	2	0	4
5404	0	165	50	95	20	12	1025	-	1025	44	25	19	0	4
1318	4406	76	61	31	59	78	205	-	205	53	53	0	0	4
10661	12408	185	121	49	72	39	305	3	300	99	99	0	0	4
2752	45	57	37	57	43	75	133	2	119	197	170	15	12	4
3487	0	50	13	50	13	26	153	2	149	81	81	0	0	4
11066	1502	64	22	64	22	34	123	2	102	246	208	38	0	4

1	2	3	4	5	6	7	8
19	(क) वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग (मु0) (A) Ministry of Finance, Deptt. of Expenditure (HQ)	4237	0	5321	3227	0	20545
19.1	(क) व्यय विभाग के अधीन कार्यालय (A) Offices under Deptt. of Expenditure	3044	0	1885	1329	0	147322
20	(क) वित्त मंत्रालय, विनिवेश विभाग (मु0) (A) Ministry of Finance Deptt. of Disinvestment (HQ)	705	0	218	218	0	2802
21	(क) वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (मु0) (A) Ministry of Finance, Deptt. of Revenue (HQ)	11067	0	4660	2152	0	39324
21.1	(क) राजस्व विभाग के अधीन कार्यालय (A) Offices under Deptt. of Revenue	60303	0	533762	523142	-	26111521
22	(क) वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (मु0) (A) Ministry of Finance , Deptt. of Economic Affairs(HQ)	7753	0	7985	3529	0	33833
22.1	(क) आर्थिक कार्य विभाग के अधीन कार्यालय, (A) Offices under Deptt. of Economic Affairs	1927	0	13635	12605	0	31764
22.2	(ख) आर्थिक कार्य विभाग के अधीन कार्यालय (B) Offices under Deptt. of Economic Affairs	1698	0	2550	1488	0	5140
22.3	(ग) आर्थिक कार्य विभाग के अधीन कार्यालय (C) Offices under Deptt. of Economic Affairs	1492	0	540	160	0	3382
23	(क) वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग (मु0) (A) Ministry of Finance , Deptt. of Financial Services (HQ)	5411	0	13255	13255	0	50636
23.1	(क) भारतीय स्टेट बैंक(मुख्यालय) (A) State Bank of India(HQ)	4645	0	10372	10372	0	130387
23.1.1	(क) भारतीय स्टेट बैंक (A) State Bank of India	26340	0	1578974	1578974	0	3122312
23.1.2	(ख) भारतीय स्टेट बैंक (B) State Bank of India	15403	0	258158	258158	0	1092941
23.1.3	(ग) भारतीय स्टेट बैंक (C) State Bank of India	12469	0	188600	188600	0	792029

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
10536	0	83	10	39	34	41	272	27	246	137	137	0	0	4
159817	0	30	2	18	10	33	631	5	625	645	63	582	0	4
631	622	9	4	5	4	44	56	-	56	31	31	0	0	4
17111	810	107	47	60	-	48.5	577	525	-	62	62	-	-	4
2561497	62029	3145	1761	1405	-	55	29165	-	24922	1496	1308	188	-	4
33709	0	44	11	33	6	14	680	680	680	84	84	0	0	4
8270	4575	52	40	12	10	19	647	647	647	811	811	0	0	4
4676	13492	49	28	31	11	22	680	645	645	834	834	0	0	4
4117	2676	37	32	5	5	14	318	318	318	77	76	1	0	4
8920	0	12	-	12	6	60	354	354	-	49	49	-	-	4
20493	0	25	25	25	25	100	1778	-	1778	64	64	0	1	4
434098	0	72	72	72	72	100	56521	-	56521	691	690	0	1	4
309395	0	90	90	90	90	100	38985	-	38985	655	655	0	0	4
793288	0	49	49	49	49	100	73951	-	73951	929	927	2	0	4

1	2	3	4	5	6	7	8
23.2	(क) स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद (मुख्यालय) (A) State Bank of Hyderabad(HQ)	1065	0	4554	3945	0	14176
23.2.1	(क) स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद (A) State Bank of Hyderabad	659	0	14024	12027	0	36912
23.2.2	(ख) स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद (B) State Bank of Hyderabad	3426	0	20812	18059	0	67055
23.2.3	(ग) स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद (C) State Bank of Hyderabad	3410	0	18183	70059	0	99031
23.3	(क) यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (मुख्यालय) (A) United Bank of India (HQ)	567	0	1474	894	0	27129
23.3.1	(क) यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (A) United Bank of India	317	0	15258	15258	0	77425
23.3.2	(ख) यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (B) United Bank of India	60	0	1002	1002	0	6444
23.3.3	(ग) यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (C) United Bank of India	1006	0	9209	9209	0	108741
23.4	(क) इलाहाबाद बैंक (मुख्या.) (A) Allahabad Bank(HQ)	619	0	15527	15527	0	30254
23.4 .1	(क) इलाहाबाद बैंक (A) Allahabad Bank	25699	0	547997	547997	0	963075
23.4 .2	(ख) इलाहाबाद बैंक (B) Allahabad Bank	1259	0	19962	19962	0	103708
23.4.3	(ग) इलाहाबाद बैंक (C) Allahabad Bank	4268	0	29173	29173	0	125596
23.5	(क) ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (मुख्या.) Oriental Bank of Commerce(HQ)	987	0	45509	45509	0	109817

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
14070	7849	142	142	142	142	100	683	-	683	224	224	0	0	4
7956	11311	44	44	44	44	100	648	-	648	58	58	0	0	4
26531	25891	344	344	344	344	100	1606	-	1606	58	58	0	0	4
120229	73802	5841	5841	5841	5841	100	3297	-	3297	253	253	0	0	4
11187	1816	0	0	0	0	0	790	-	790	69	68	0	1	4
5372	0	0	0	0	0	0	3256	-	3256	63	63	0	0	4
2714	9736	0	0	0	0	0	1205	-	1205	41	41	0	0	4
129537	218516	0	0	0	0	0	12535	-	12535	81	80	0	1	4
15729	0	0	0	0	0	0	562	-	562	153	153	0	0	4
62693	0	0	0	0	0	0	13055	-	13055	213	210	3	0	4
16330	0	0	0	0	0	0	2494	-	2494	153	152	1	0	4
79660	0	0	0	0	0	0	7494	-	7494	206	202	4	0	4
13081	10596	0	0	0	0	0	678	-	678	267	267	0	0	4

1	2	3	4	5	6	7	8
23.5.1	(क) ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (A) Oriental Bank of Commerce	12463	0	304408	304408	0	583276
23.5.2	(ख) ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (B) Oriental Bank of Commerce	4358	0	136054	136054	0	228683
23.5.3	(ग) ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (C) Oriental Bank of Commerce	1329	0	12555	12555	0	17980
23.6	(क) भारतीय निर्यात-आयात बैंक (प्रधान कार्यालय) (A) EXIM Bank (HQ)	152	0	1209	792	0	17533
23.6.1	(क) भारतीय निर्यात-आयात बैंक (A) EXIM Bank	7	0	272	113	0	1312
23.6.2	(ख) भारतीय निर्यात-आयात बैंक (B) EXIM Bank	177	0	1328	808	0	19749
23.6.3	(ग) भारतीय निर्यात-आयात बैंक (C) EXIM Bank	14	0	250	72	0	1239
23.7	(क) बैंक ऑफ इंडिया (प्रधान कार्यालय) (A) Bank of India (HQ)	1041	0	18692	12096	0	692850
23.7.1	(क) बैंक ऑफ इंडिया (A) Bank of India	1627	0	621981	601980	0	910450
23.7.2	(ख) बैंक ऑफ इंडिया (B) Bank of India	1437	0	305016	29412	0	963100
23.7.3	(ग) बैंक ऑफ इंडिया (C) Bank of India	1076	0	62509	55400	0	60005
23.8	(क) यूको बैंक (प्रधान कार्यालय) (A) UCO Bank (HQ)	860	0	2991	2991	0	1120001

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
49425	70268	0	0	0	0	0	10075	-	10075	267	267	0	0	4
27432	23182	0	0	0	0	0	5573	-	5573	267	267	0	0	4
13933	13037	0	0	0	0	0	3263	-	3263	267	267	0	0	4
3929	2167	0	0	0	0	0	300	-	300	84	78	6	0	4
230	179	0	0	0	0	0	20	-	20	84	78	6	0	4
4403	2374	0	0	0	0	0	325	-	325	84	78	6	0	4
2046	1060	0	0	0	0	0	45	-	45	84	78	6	0	4
28333	214960	83	5	0	78	94	851	-	851	904	904	0	0	4
52839	512380	745	10	0	735	99	15742	-	15742	892	892	0	0	4
142420	811104	988	20	0	968	98	15624	-	15624	906	905	0	1	4
142043	180290	720	1	0	719	100	8828	-	8235	730	730	0	0	4
243293	0	0	0	0	0	0	623	-	623	86	85	0	1	4



1	2	3	4	5	6	7	8
23.8.1	(क) यूको बैंक (A) UCO Bank	19042	0	84333	84333	0	332988
23.8.2	(ख) यूको बैंक (B) UCO Bank	7709	0	35008	35008	0	122379
23.8.3	(ग) यूको बैंक (C) UCO Bank	3584	0	8284	8284	0	703638
23.9	(क) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (प्रधान कार्यालय) (A) SIDBI (HQ)	180	0	1321	1321	0	8330
23.9.1	(क) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (A) SIDBI	362	0	3558	3558	0	45262
23.9.2	(ख) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (B) SIDBI	798	0	4646	4646	0	38564
23.9.3	(ग) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (C) SIDBI	140	0	1241	1241	0	28168
23.1	(ख) सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (मुख्या.) (B) Central Bank of India (HQ)	245	0	17859	17859	0	77079
23.10.1	(क) सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (A) Central Bank of India	42223	0	1494073	1494073	0	2172021
23.10.2	(ख) सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (B) Central Bank of India	13052	0	384286	384286	0	867375
23.10.3	(ग) सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (C) Central Bank of India	2710	0	92452	92452	0	114056
23.11	(ख) बैंक ऑफ महाराष्ट्र (मुख्या.) (B) Bank of Maharashtra(HQ)	3359	0	3663	2124	0	533992

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
54251	0	0	0	0	0	0	8784	-	8784	100	100	0	0	4
36103	0	0	0	0	0	0	3720	-	3720	103	103	0	0	4
220246	0	0	0	0	0	0	7716	-	7716	115	114	0	1	4
305	0	3	3	3	3	100	107	-	107	86	85	0	1	4
4749	0	8	8	8	8	100	339	-	339	86	85	0	1	4
5758	0	8	8	8	8	100	425	-	425	86	85	0	1	4
7869	0	5	5	5	5	100	210	-	210	86	85	0	1	4
8132	16435	1	-	0	1	100	892	892	-	169	169	0	0	1
53672	70464	24	-	0	24	100	15108	15108	-	407	407	0	0	4
67582	24017	26	-	0	26	100	9137	9137	-	260	260	0	0	4
255930	372180	5	-	0	5	100	9429	9429	-	267	267	0	0	4
25036	0	1	1	1	1	100	325	-	325	391	391	0	0	4

1	2	3	4	5	6	7	8
23.11.1	(क) बैंक ऑफ महाराष्ट्र (A) Bank of Maharashtra	14195	0	70965	42765	0	214245
23.11.2	(ख) बैंक ऑफ महाराष्ट्र (B) Bank of Maharashtra	136770	0	140433	96528	0	1289155
23.11.3	(ग) बैंक ऑफ महाराष्ट्र (C) Bank of Maharashtra	3705	0	13250	7065	0	53090
23.12	(ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (मुख्या.) (B) NABARD (HQ)	1616	0	12880	8660	0	33081
23.12.1	(क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (A) NABARD	787	0	32006	10562	0	66243
23.12.2	(ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (B) NABARD	279	0	1543	509	0	21561
23.12.3	(ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (C) NABARD	590	0	4506	1487	0	23371
23.13	(क) आन्धा बैंक (मुख्यालय) (A) Andhra Bank (HQ)	460	0	3317	1982	0	0
23.13.1	(क) आन्धा बैंक (A) Andhra Bank	704	0	22905	10307	0	0
23.13.2	(ख) आन्धा बैंक (B) Andhra Bank	405	0	6575	2958	0	0
23.13.3	(ग) आन्धा बैंक (C) Andhra Bank	1326	0	70144	31564	0	0
23.14	(क) पंजाब नेशनल बैंक (प्रधान कार्यालय) (A) Punjab National Bank((HQ)	2228	0	93272	93272	0	578597

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
38408	0	1	1	1	1	100	2112	-	211	319	319	0	0	4
282610	4620	1	1	1	1	100	7775	-	7775	391	391	0	0	4
63561	0	1	1	1	1	100	1501	-	1501	319	319	0	0	4
13965	-	51	51	51	51	100	967	-	967	133	133	0	0	4
9221	-	34	32	34	32	100	1485	-	1485	139	139	0	0	4
3193	-	28	28	28	28	100	578	-	578	133	133	0	0	4
17133	-	55	41	55	41	100	1532	-	1532	146	146	0	0	4
13778	46009	0	0	0	0	0	15464	-	15464	213	213	0	0	4
12834	54960	0	0	0	0	0	1852	-	1852	213	213	0	0	4
10406	27751	0	0	0	0	0	1229	-	1229	213	213	0	0	4
134787	244812	0	0	0	0	0	12383	-	12383	213	213	0	0	4
12736	0	16	0	0	16	100	2965	-	2965	1302	1302	0	0	4

1	2	3	4	5	6	7	8
23.14.1	(क) पंजाब नेशनल बैंक (A) Punjab National Bank	32118	0	1248411	1248411	0	0
23.14.2	(ख) पंजाब नेशनल बैंक (B) Punjab National Bank	4638	0	134335	134335	0	625126
23.14.3	(ग) पंजाब नेशनल बैंक (C) Punjab National Bank	3565	0	30349	30349	0	294330
23.15	(क) पंजाब एंड सिंध बैंक (A) Punjab & Sind Bank	375	0	11449	11449	0	103838
23.15.1	(क) पंजाब एंड सिंध बैंक (A) Punjab & Sind Bank	8516	0	162228	14321	0	536891
23.15.2	(ख) पंजाब एंड सिंध बैंक (B) Punjab & Sind Bank	6548	0	77871	72561	0	556483
23.15.3	(ग) पंजाब एंड सिंध बैंक (C) Punjab & Sind Bank	2101	0	26950	25390	0	20233
23.16	(क) कार्पोरेशन बैंक (प्रधान कार्यालय) (A) Corporation Bank(HQ)	1005	0	10770	2693	0	5003
23.16.1	(क) कार्पोरेशन बैंक (A) Corporation Bank	685	0	56345	14372	0	32818
23.16.2	(ख) कार्पोरेशन बैंक (B) Corporation Bank	228	0	19837	4725	0	21425
23.16.3	(ग) कार्पोरेशन बैंक (C) Corporation Bank	1730	0	29821	11722	0	65534
23.17	(क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (प्रधान कार्यालय) (A) IDBI (HQ)	2335	0	3235	970	0	16188

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0	0	16	0	0	16	100	32833	-	32833	1543	1543	0	0	4
29824	0	0	0	0	0	0	9643	-	9643	1298	1298	0	0	4
135038	0	0	0	0	0	0	8071	-	8071	1247	1247	0	0	4
24702	0	0	0	0	0	0	717	-	717	135	131	-	4	4
72223	0	5	0	0	5	100	4675	-	4675	31	37	-	4	4
55625	0	0	0	0	0	0	4327	-	4327	0	0	0	0	4
18966	0	0	0	0	0	0	899	-	899	0	0	0	0	4
39829	60702	118	93	118	93	79	955	-	940	560	537	18	6	4
30430	168430	1839	536	1839	536	29	4980	-	4980	548	530	18	0	4
18515	47560	1781	421	1781	421	24	6318	-	6318	548	530	18	0	4
124243	151421	4478	437	4478	437	10	14690	-	14690	562	537	18	7	4
3627	24083	94	94	94	94	100	1533	-	1533	112	110	1	1	4

1	2	3	4	5	6	7	8
23.17.1	(क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (A) IDBI	4368	0	28703	8610	0	79571
23.17.2	(ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (B) IDBI	6419	0	23070	6459	0	566753
23.17.3	(ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (C) IDBI	2163	0	9925	3978	0	17221
23.18	(क) इंडियन ओवरसीज बैंक (मुख्यालय) (A) Indian Overseas Bank (HQ)	1246	0	24467	24467	0	24946
23.18.1	(क) इंडियन ओवरसीज बैंक (A) Indian Overseas Bank	976	0	16228	16228	0	15022
23.18.2	(ख) इंडियन ओवरसीज बैंक (B) Indian Overseas Bank	734	0	9328	9328	0	9713
23.18.3	(ग) इंडियन ओवरसीज बैंक (C) Indian Overseas Bank	1078	0	27476	27476	0	32384
23.19	(क) देना बैंक (मुख्यालय) (A) Dena Bank (HQ)	1225	0	10518	10518	0	29503
23.19.1	(क) देना बैंक (A) Dena Bank	650	0	86247	86247	0	154076
23.19.2	(ख) देना बैंक (B) Dena Bank	3287	0	95688	95688	0	252093
23.19.3	(ग) देना बैंक (C) Dena Bank	343	0	4020	4020	0	8357
23.2	(क) भारतीय रिजर्व बैंक (A) Reserve Bank of India	5301	0	95352	74026	0	283262

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
8995	53046	73	73	73	73	100	5015	-	5015	123	103	0	20	4
153087	529612	882	882	882	882	100	7148	-	7148	121	103	1	20	4
33631	51665	92	92	92	92	100	4921	-	4921	123	122	0	20	4
12768	22819	0	0	0	0	0	1012	-	1012	829	826	2	1	4
7218	13627	0	0	0	0	0	4875	-	4875	829	826	2	1	4
4278	11219	0	0	0	0	0	4274	-	4274	829	826	2	1	4
17876	21742	0	0	0	0	0	20075	-	15786	829	826	2	1	4
11946	69503	0	0	0	0	0	715	-	715	79	79	0	0	3
7805	146271	0	0	0	0	0	2468	-	2468	116	116	0	0	4
40558	211535	0	0	0	0	0	5248	-	5248	2086	2086	0	0	4
13778	22135	0	0	0	0	0	844	-	844	101	101	0	0	4
18275	-	22	21	22	21	90	3615	-	3615	5	5	-	-	4



1	2	3	4	5	6	7	8
23.20.1	(ख) भारतीय रिजर्व बैंक (B) Reserve Bank of India	13400	0	70296	42436	0	408796
23.20.2	(ग) भारतीय रिजर्व बैंक (C) Reserve Bank of India	4151	0	7512	3216	0	144544
23.21	(क) केनरा बैंक (प्रधान कार्यालय) (A) Canara Bank (HQ)	1240	0	13177	13177	0	124836
23.21.1	(क) केनरा बैंक (A) Canara Bank	2104	0	160182	160182	0	461343
23.21.2	(ख) केनरा बैंक (B) Canara Bank	1301	0	46022	46022	0	186705
23.21.3	(ग) केनरा बैंक (C) Canara Bank	3120	0	121113	121113	0	886068
23.22	(क) विजया बैंक (मुख्यालय) (A) Vijaya Bank	2319	0	2830	2056	0	0
23.22.1	(ख) विजया बैंक (B) Vijaya Bank	2320	0	25297	19936	0	0
23.22.2	(ग) विजया बैंक (C) Vijaya Bank	11676	0	29725	18792	0	0
23.23	(ख) बैंक ऑफ बड़ौदा (प्रधान कार्यालय) (B) Bank of Baroda (HQ)	478	0	35149	30287	0	394597
23.23.1	(क) बैंक ऑफ बड़ौदा (A) Bank of Baroda	10471	0	3295295	2926784	0	3281665
23.23.2	(ख) बैंक ऑफ बड़ौदा (B) Bank of Baroda	10114	0	849112	842309	0	3623707

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
55642	-	134	122	134	122	85	7885	-	7885	838	837	1	-	4
48781	-	64	59	64	59	65	5711	-	5711	43	41	-	-	4
40812	0	0	0	0	0	0	1507	-	1507	1057	1057	0	0	4
17812	0	0	0	0	0	0	11352	-	11352	1138	1138	0	0	4
15047	0	0	0	0	0	0	10674	-	10674	60	60	0	0	4
371808	0	0	0	0	0	0	33104	-	33104	1232	1220	12	0	4
54546	144975	30	30	30	30	100	602	-	602	348	326	22	0	4
25930	96441	16	16	16	16	100	2330	-	2330	348	326	22	0	4
255213	438701	59	59	59	59	100	8340	-	8340	348	326	22	0	4
35791	4285	28	28	28	28	100	1020	-	1020	265	242	0	23	4
183953	705106	152	152	152	152	100	16027	-	16027	566	524	0	42	4
227278	674848	202	202	202	202	100	16035	-	16035	494	468	0	26	4

1	2	3	4	5	6	7	8
23.23.3	(ग) बैंक ऑफ बड़ौदा (C) Bank of Baroda	3356	0	97480	92510	0	302078
23.24	(ख) स्टेट बैंक आफ पटियाला (प्रधान कार्यालय) (B) State Bank of Patiala(HQ)	2077	0	5521	4381	0	148313
23.24.1	(क) स्टेट बैंक आफ पटियाला (A) State Bank of Patiala	7796	0	36465	35415	0	330231
23.24.2	(ख) स्टेट बैंक आफ पटियाला (B) State Bank of Patiala	24431	0	20203	19586	0	167857
23.24.3	(ग) स्टेट बैंक आफ पटियाला (C) State Bank of Patiala	1074	0	395	395	0	2474
23.25	(ग) सिंडिकेट बैंक (प्रधान कार्यालय) (C) Syndicate Bank(HQ)	497	0	7650	4743	0	294279
23.25.1	(क) सिंडिकेट बैंक (A) Syndicate Bank	2725	0	75333	51226	0	280369
23.25.2	(ख) सिंडिकेट बैंक (B) Syndicate Bank	252	0	12862	8488	0	139989
23.25.3	(ग) सिंडिकेट बैंक (C) Syndicate Bank	12931	0	19475	12074	0	315541
23.26	(क) यूनियन बैंक आफ इंडिया (प्रधान कार्यालय) (A) Union Bank of India (HQ)	2081	0	27585	16846	0	113219
23.26.1	(क) यूनियन बैंक आफ इंडिया (A) Union Bank of India	18240	0	534795	299275	0	857227
23.26.2	(ख) यूनियन बैंक आफ इंडिया (B) Union Bank of India	10825	0	224861	64406	0	473509

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
206683	105177	24	24	24	24	100	8749	-	8749	317	317	0	0	4
21540	98	1	1	0	0	0	710	-	710	616	616	0	0	4
34532	204	0	0	0	0	0	4639	598	4639	616	616	0	0	4
26868	213	0	0	0	0	0	9163	651	9163	616	616	0	0	4
0	0	0	0	0	0	0	604	302	604	616	616	0	0	4
156345	0	32	31	32	31	97	820	820	-	458	457	0	1	4
47587	0	48	33	48	33	69	10892	10892	-	458	458	0	0	4
28208	0	33	20	33	20	61	6233	-	-	459	459	0	0	4
217246	0	90	58	90	58	64	28220	28220	-	470	469	0	1	4
16201	87772	0	0	0	0	0	1170	-	1170	418	409	0	9	4
48551	154389	0	0	0	0	0	12670	-	12670	450	408	0	42	4
85989	130144	0	0	0	0	0	9341	-	9341	445	408	0	37	4

1	2	3	4	5	6	7	8
23.26.3	(ग) यूनियन बैंक आफ इंडिया (C) Union Bank of India	10183	0	95487	22040	0	183811
23.27	(ग) स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर (प्रधान कार्यालय) (C) State Bank of Travancore(HQ)	125	0	1019	988	0	1138
23.27.1	(क) स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर (A) State Bank of Travancore	115	0	986	845	0	975
23.27.2	(ख) स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर (B) State Bank of Travancore	625	0	1189	1102	0	1112
23.27.3	(ग) स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर (C) State Bank of Travancore	526	0	634	609	0	678
23.28	(ग) स्टेट बैंक ऑफ मैसूर (प्रधान कार्यालय) (C) State Bank of Mysore(HQ)	1626	0	485	375	0	0
23.28.1	(क) स्टेट बैंक ऑफ मैसूर (A) State Bank of Mysore	60	0	1639	1329	0	0
23.28.2	(ख) स्टेट बैंक ऑफ मैसूर (B) State Bank of Mysore	69	0	728	531	0	0
23.28.3	(ग) स्टेट बैंक ऑफ मैसूर (C) State Bank of Mysore	2025	0	2983	2367	0	0
23.29	(क) स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर (प्रधान कार्यालय) (A) State Bank of Bikaner & Jaipur (HQ)	1276	0	43030	43030	0	4380815
23.29.1	(क) स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर (A) State Bank of Bikaner & Jaipur	1972	0	279855	279855	0	4936274
23.29.2	(ख) स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर (B) State Bank of Bikaner & Jaipur	146	0	2779	2779	0	13104

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
265366	145290	0	0	0	0	0	9066	-	9066	447	408	0	39	4
987	1284	0	0	0	0	0	451	451	-	646	646	0	0	4
898	1131	0	0	0	0	0	526	526	-	646	646	0	0	4
5056	8569	0	0	0	0	0	10721	10721	-	646	646	0	0	4
4216	5124	0	0	0	0	0	595	595	-	646	646	0	0	4
24391	41931	0	0	0	0	0	232	-	232	47	47	0	0	4
4520	23437	0	0	0	0	0	319	-	319	22	22	0	0	4
3971	9845	0	0	0	0	0	469	-	469	2	2	0	0	4
63787	102877	0	0	0	0	0	6866	-	6866	49	49	0	0	4
129047	0	0	0	0	0	0	774	-	774	1314	597	0	4	4
166495	0	0	0	0	0	0	15333	-	15333	1314	0	0	0	4
2605	0	0	0	0	0	0	940	-	940	0	0	0	0	4

1	2	3	4	5	6	7	8
23.29.3	(ग) स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर (C) State Bank of Bikaner & Jaipur	46	0	969	969	0	5713
23.3	(ग) इंडियन बैंक (मुख्यालय) (C) Indian Bank (HQ)	461	0	1255	1255	0	136207
23.30.1	(क) इंडियन बैंक (A) Indian Bank	1207	0	30485	30485	0	32378
23.30.2	(ख) इंडियन बैंक (B) Indian Bank	701	0	9859	9859	0	86115
23.30.3	(ग) इंडियन बैंक (C) Indian Bank	4099	0	17316	17316	0	234898
23.31	राष्ट्रीय आवास बैंक National Housing Bank	471	0	1407	1407	0	1551
23.32	भारतीय महिला बैंक Woman Bank of India	156	16	388	388	0	280
23.33	(क) दि ओरियंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (A) The Oriental Insurance Co. Ltd	12628	0	76113	76113	0	126257
23.33.1	(ख) दि ओरियंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (B) The Oriental Insurance Co. Ltd	4890	0	5248	5248	0	6297
23.33.2	(ग) दि ओरियंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (C) The Oriental Insurance Co. Ltd	2315	0	5593	5593	0	4518
23.34	(ग) युनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (C) United India Insurance Co. Ltd.	138	0	156138	156138	0	361590
23.35	(ख) भारतीय साधारण बीमा निगम (B) General Insurance Company of India	414	0	90	90	0	1624

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
5713	0	0	0	0	0	0	762	-	762	0	0	0	0	4
67808	136207	1	1	0	0	0	1024	-	1024	346	234	112	0	4
3415	32378	0	0	0	0	0	1971	-	1971	236	223	13	0	4
20146	86115	0	0	0	0	0	1989	-	1989	217	204	13	0	4
128134	234898	1	1	0	0	0	16145	-	16145	346	234	112	0	4
1326	11983	0	0	0	0	0	361	-	361	219	218	0	1	4
279	15792	12076	0	0	0	0	73	-	73	55	29	26	0	4
19097	0	1227	1295	32	0	97.39	2916	1	2916	285	213	0	0	4
1853	0	1006	930	76	0	92.44	1236	1	1235	29	29	0	0	4
2210	0	1165	1047	118	0	89.87	1276	1	1275	26	26	0	0	4
100760	0	3979		1068	1547	38.88	6050	6050		165	144	20	0	2
404	-	0	0	0	0	0	690	690	-	114	0	0	0	4



1	2	3	4	5	6	7	8
23.36	(क) एग्रीकल्चर इश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (A) Agriculture Insurance Co. of India Ltd.	37412	0	15212	12387	0	5723
23.36.1	(ख) एग्रीकल्चर इश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (B) Agriculture Insurance Co. of India Ltd.	16376	0	2532	1645	0	1629
23.36.2	(ग) एग्रीकल्चर इश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (C) Agriculture Insurance Co. of India Ltd.	32938	0	1936	934	0	1935
23.37	(क) नेशनल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (प्रधान कार्यालय) (A) National Insurance Co. Ltd. (HQ)	4753	0	80303	65601	0	90161
23.37.1	(क) नेशनल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (A) National Insurance Co. Ltd.	1885	0	31296	26647	0	38220
23.37.2	(ख) नेशनल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (B) National Insurance Co. Ltd.	1702	0	26730	21738	0	29870
23.37.3	(ग) नेशनल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (C) National Insurance Co. Ltd.	1166	0	22277	17216	0	22071
23.38	(ख) दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (मुख्यालय) (B) The New India Assurance Co. Ltd. (HQ)	2426	0	143692	129323	0	1441813
23.38.1	(क) दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (A) The New India Assurance Co. Ltd.	729	0	110285	99256	0	165294
23.38.2	(ख) दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (B) The New India Assurance Co. Ltd.	1338	0	32252	29028	0	1270488
23.38.3	(ग) दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (C) The New India Assurance Co. Ltd.	359	0	1155	1039	0	6031
23.39	(ख) भारतीय जीवन बीमा निगम (B) Life Insurance Corporation of India	2124556	0	2116270	2116270	0	98197387
24	(क) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (मु.) (A) Ministry of Health & Family welfare (HQ)	40336	0	7344	7344	0	18351

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1440	0	0	0	0	0	266	266	0	0	46	46	0	0	4
610	0	0	0	0	0	82	82	0	0	46	46	0	0	4
1360	0	0	0	0	0	136	136	0	0	46	46	0	0	4
51469	0	117	-	41	42	60.86	4292	4292	-	62	0	0	2	4
19897	0	16	7	5	4	-	1402	0	1402	83	71	0	12	4
18392	0	14	5	4	5	-	1972	0	1972	200	175	11	14	4
13180	0	18	7	5	6	-	918	0	918	181	99	74	8	4
377790	776360	0	0	0	0	0	12483	11488	-	175	175	-	-	4
31494	89004	0	0	0	0	0	3219	3204	-	157	155	-	2	4
327841	684108	0	0	0	0	0	5158	5158	-	171	162	-	9	4
18455	3248	0	0	0	0	0	4106	3066	-	157	156	-	1	4
4979802	-	987	-	592	395	40.02	82828	82828	-	7547	5697	1728	122	4
26054	0	126	79	47	0	0	860	-	860	569	525	44	0	3

1	2	3	4	5	6	7	8
24.1	(क) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under Ministry of Health & Family welfare	11801	7603	10672	6724	1981	61037
24.2	(ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Offices under Ministry of Health & Family welfare	254	0	2789	2529	0	2289
24.3	(ग) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Offices under Ministry of Health & Family welfare	10337	0	5298	0	0	391
25	(क) आयुष मंत्रालय (A) Ministry of AYUSH	4597	-	2450	2145	-	3268
26	(क) संसदीय कार्य मंत्रालय (A) Ministry of Parliamentary Affairs	645	0	2412	924	0	6703
27	(क) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (मु.) (A) Ministry of Information & Broadcasting (HQ)	8416	0	5347	5347	0	26826
27.1	(क) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under Ministry of Information & Broadcasting	128163	0	178782	64722	0	537232
27.2	(ख) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Offices under Ministry of Information & Broadcasting	179760	0	62558	49785	0	103942
27.3	(ग) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Offices under Ministry of Information & Broadcasting	39023	0	17467	10152	0	98725
28	(क) मंत्रिमंडल सचिवालय (A) Cabinet Secretariat	6567	0	2922	1904	0	15055
29	(क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (A) Ministry of Food Processing Industries	4600	0	294	294	0	4973
29.1	(क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under Ministry of Food Processing Industries	0	0	72	20	52	13
29.2	(ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Offices under Ministry of Food Processing Industries	15	0	1667	1667	0	26

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
115188	39421	88402	47163	43297	0	0	2592	-	930	345	0	0	0	3
1543	3101	13752	9900	3899	247	2	38	-	-	307	0	0	0	3
329	0	20	63	21	0	0	49109	-	30455	8143	0	0	0	3
2610	3210	17	-	17	12	50	252	252	-	51	51	-	-	4
1114	5971	29	28	29	28	97	97	-	90	31	31	0	0	4
5615	21211	68	-	68	68	100	327	327	-	158	158	-	-	4
78653	68012	719	-	335	519	72.18	3798	3635	-	1320	1187	81	40	4
36029	20348	390	-	101	257	65.89	1593	1507	-	716	703	-	13	4
75615	19358	799	-	376	361	45.18	10686	10653	-	646	632	-	14	4
29211	11534	47	10	35	12	25.5	294	294	-	44	44	0	0	1
5527	554	4	4	0	4	100	136	136	-	104	104	0	0	4
1653	1663	1	1	1	1	100	267	267	-	15678	3	14208	1467	4
1380	1354	6	6	0	6	100	40	40	-	40	32	8	0	4

1	2	3	4	5	6	7	8
30	(क) भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय भारी उद्योग विभाग (A) M/o Heavy Industries & Public Enterprises D/o Heavy Industries	2331	0	1256	923	0	1040
30.1	(क) भारी उद्योग विभाग के अधीन कार्यालय (A) Offices under D/o Heavy Industries	17142	0	5704	4917	68	53168
30.2	(ग) भारी उद्योग विभाग के अधीन कार्यालय (C) Offices under D/o Heavy Industries	535	0	245	178	0	4716
31	(क) भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय लोक उद्यम विभाग (A) M/o Heavy Industries & Public Enterprises	2111	0	546	546	0	0
32	(क) इस्पात मंत्रालय (A) Ministry of Steel	864	0	3046	3046	0	19272
32.1	(क) इस्पात मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under M/o Steel	150819	0	140603	139595	0	521612
32.2	(ख) इस्पात मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Offices under M/o Steel	5475	0	5501	5406	0	44617
32.3	(ग) इस्पात मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Offices under M/o Steel	24678	0	22263	21311	0	138510
33	(क) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (मु.) (A) Ministry of New and Renewable Energy (HQ)	719	0	708	708	0	9149
33.1	(ख) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Offices under M/o New and Renewable Energy	107	0	22	35	0	35
33.2	(ग) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Offices under M/o New and Renewable Energy	105	0	40	22	0	0
34	(क) विद्युत मंत्रालय (मु.) (A) Ministry of Power (HQ.)	6934	0	2541	2541	0	573
34.1	(क) विद्युत मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under M/o Power	9687	0	61778	50228	0	295298

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1417	6120	9	9	9	9	100	297	1	297	50	50	0	0	3
25251	60291	89	83	88	83	93	1179	1	1041	929	907	16	6	4
2680	4859	37	14	31	5	14	777	1	633	217	157	49	8	4
6495	20824	9	8	8	8	89	95	47	47	12	12	0	0	2
3941	0	26	-	25	25	96	240	240	-	24	24	-	-	4
42857	12174	1126	-	1114	1102	98	11499	11494	-	1603	1512	23	68	4
5984	12629	35	-	12	27	77	282	273	-	654	650	0	4	4
101697	32632	905	-	555	593	66	7619	7619	-	3752	3720	1	11	4
3289	0	27	-	27	27	71	324	324	-	33	33	-	-	4
1141	0	0	0	0	0	0	36	-	36	11	11	0	0	4
5128	3022	214	-	21	0	0	0	0	0	16	16	0	0	4
7027	4613	34	-	34	30	17	299	299	299	2	2	-	-	4
65104	110834	249	-	366	533	72	7229	7170	6570	841	797	27	18	4

1	2	3	4	5	6	7	8
34.2	(ख) विद्युत मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Offices under M/o Power	14371	0	367130	272547	0	532715
34.3	(ग) विद्युत मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Offices under M/o Power	7644	0	1972	1142	0	11064
35	(क) कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग (मु.) (A) M/o Agriculture, Deptt. of Agri. & Co-operation (HQ)	11630	0	22258	6536	0	34881
35.1	(क) कृषि एवं सहकारिता विभाग के अधीन कार्यालय (A) Offices of Deptt. of Agriculture & Co-operation	6434	0	17958	9604	0	18430
35.2	(ख) कृषि एवं सहकारिता विभाग के अधीन कार्यालय (B) Offices of Deptt. of Agriculture & Co-operation	74	0	548	304	0	1186
35.3	(ग) कृषि एवं सहकारिता विभाग के अधीन कार्यालय (C) Offices of Deptt. of Agriculture & Cooperation	17305	0	4602	1864	0	8635
36	(क) कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग (A) Department of Agricultural Research & Education	416	0	430	0	0	874
36.1	(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (A) Indian Council of Agricultural Research	14266	0	11528	9843	0	51929
37	(क) पशु-पालन, डेयरी और मत्स्य विभाग (A) Department of Animal Husbandary, Dairy and Fishing	3876	0	1742	1742	0	4313
38	(क) सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (A) M/o. Statistics & Programme Implementation	10135	-	20378	8292	-	21932
38.1	(क) सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices of the M/o. Statistics & Programme Implementation	16843	-	85173	32988	-	144505
38.2	(ख) सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Offices of the M/o. Statistics & Programme Implementation	4434	-	16303	6270	-	38573
38.3	(ग) सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन कार्यालय	4387	-	3636	1114	-	24831

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
156063	7225	494	-	167	327	78	567	567	567	2	2	0	0	4
11680	29128	155	-	155	110	75	1232	1232	1232	7	6	0	1	4
36410	14826	98	91	98	91	93	650	-	650	133	133	0	0	4
25986	8226	136	99	136	102	75	514	-	514	345	345	0	0	4
607	216	2	2	2	2	100	3	-	3	17	17	0	0	4
12304	3266	52	40	52	40	77	223	-	223	347	347	0	0	4
282	0	10	9	4	4	40	32	2	26	53	53	0	0	3
66055	0	154	21	33	100	68	423	0	423	106	92	7	7	4
3584	2118	33	-	22	11	60	120	-	120	0	0	0	0	3
8268	-	45	-	4	41	70	516	516	-	594	34	560	-	4
13899	161	126	-	114	101	70	883	870	-	127	118	9	-	4
9882	186	47	-	38	41	81	408	390	-	108	106	2	-	4
31264	2984	57	-	55	51	58	1095	725	-	79	71	8	-	4



1	2	3	4	5	6	7	8
39	(क) भारतीय लेखा और लेखापरीक्षा विभाग (मु.) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय (A) Department of Indian Accounts & Audit (HQ) Office of the Comptroller & Auditor General Of India	1084	31	44776	20634	226	68085
39.1	(क) नियंत्रक एवं महा. परीक्षक का कार्यालय के अधीन कार्या. (A) Offices of the Comptroller & Auditor General Of India	47336	1423	873852	617117	576	1397686
39.2	(ख) नियंत्रक एवं महा. परीक्षक का कार्यालय के अधीन कार्या. (B) Offices of the Comptroller & Auditor General Of India	13619	42	93521	48414	0	678296
39.3	(ग) नियंत्रक एवं महा. परीक्षक का कार्यालय के अधीन कार्या. (C) Offices of the Comptroller & Auditor General Of India	25097	2095	32450	17638	1186	134027
40	(क) पोत परिवहन मंत्रालय (मु.) (A) Ministry of Shipping (HQ)	1726	0	1220	488	0	10223
40.1	(क) पोत परिवहन मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under M/o Shipping	5817	0	11245	8274	0	23955
40.2	(ख) पोत परिवहन मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Offices under M/o Shipping	25201	0	37410	27160	0	207619
40.3	(ग) पोत परिवहन मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Offices under M/o Shipping	21733	0	4414	3801	0	23775
41	(क) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (A) Ministry of Road Transport & Highways	9195	0	3178	3074	0	41072
41.1	(क) bhartiya rastriya राजमार्ग pradhikaran (A) National Highway Authority of India	1879	0	2968	2229	0	24385
42	(क) नागर विमानन मंत्रालय (A) Ministry of Civil Aviation	1858	0	2112	1896	0	14956
42.1	(क) नागर विमानन मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under M/o Civil Aviation	7981	0	23334	18215	0	170630
43	(क) रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, रसा. एवं पेट्रो-रसायन विभाग (A) M/o Chem. & Fertilizers, D/o Chemicals & Petro-chem.	553	7	1924	1570	354	3567
43.1	(क) रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग के कार्यालय (A) Offices of D/o Chemicals & Petro-Chemicals	2096	0	1605	1605	0	13009

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
13600	0	44	35	9	0	0	974	3	788	18	14	4	0	4
55783	38606	759	169	214	376	50	6836	217	5230	3397	1858	1064	475	4
65106	66935	286	11	106	169	59	2007	820	1831	6006	2292	3505	209	4
111993	117857	593	18	380	195	33	6670	480	3096	4875	1809	2130	936	4
14797	10223	9	0	0	9	100	263	-	263	121	121	0	0	4
7312	6751	79	0	28	51	65	160	-	160	142	142	0	0	4
36060	44490	481	0	17	464	96	2053	-	2053	1809	1794	13	2	4
16704	16287	657	159	0	489	74	4274	-	4276	1511	1396	106	9	4
30196	41072	129	-	16	113	55	492	492	-	56	18	-	-	4
7519	-	42	-	0	42	68	844	844	-	46	42	-	4	4
6925	270	5	3	2	3	60	271	-	271	36	36	0	0	4
47587	1723	334	334	0	334	100	2612	-	2612	928	923	5	0	4
2111	125	10	5	5	2	20	112	-	112	16	0	4	12	4
7112	5695	127	49	78	42	33	292	-	194	329	324	5	0	4

1	2	3	4	5	6	7	8
43.3	(ग) रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग के कार्यालय (C) Offices of D/o Chemicals & Petro-Chemicals	1443	129	2645	2603	42	25930
44	(क) उर्वरक विभाग (A) Deptt. of Fertilizer	2226	0	1542	1542	0	8609
44.1	(क) उर्वरक विभाग के अधीन कार्यालय (A) Offices under Deptt. of Fertilizers	3880	0	13566	7832	0	15985
44.2	(ख) उर्वरक विभाग के अधीन कार्यालय (B) Offices under Deptt. of Fertilizers	19818	0	3393	1940	0	78312
44.3	(ग) उर्वरक विभाग के अधीन कार्यालय (C) Offices under Deptt. of Fertilizers	1188	0	521	339	0	2500
45	(क) औषध विभाग (A) Department of Pharmaceuticals	2422	-	503	503	-	2622
45.1	(क) औषध विभाग के अधीन कार्यालय (A) Offices under Department of Pharmaceuticals	199	-	606	472	-	10656
45.2	(ख) औषध विभाग के अधीन कार्यालय (B) Offices under Department of Pharmaceuticals	451	-	206	27	-	7219
45.3	(ग) औषध विभाग के अधीन कार्यालय (C) Offices under Department of Pharmaceuticals	5358	-	2382	2382	-	214
46	(क) रक्षा मंत्रालय के रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग और भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग (A) Deptt. of Defence, Deptt. of defence Research & Develop. and Ex. Servicemen welfare Deptt. of Ministry of Defence	8852	0	8876	22903	0	30399
46.1	(क) सेना मुख्यालय एवं अंतर सेवा संगठन (A) Defence Headquarters & ISO	223051	0	241570	213029	0	1418932
46.2	(ख) सेना मुख्यालय एवं अंतर सेवा संगठन (B) Defence Headquarters & ISO	47139	0	111504	101565	0	173493
46.3	(ग) सेना मुख्यालय एवं अंतर सेवा संगठन (C) Defence Headquarters & ISO	46646	0	86133	77163	0	155577

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
12935	0	63	36	27	0	0	480	-	251	31	31	0	0	4
8405	0	28	22	24	22	79	270	-	270	28	28	0	0	4
5545	977	88	87	86	87	99	1209	-	1204	287	287	0	0	4
5128	31	133	133	133	133	100	1599	-	1599	925	883	6	36	4
2652	4390	114	109	114	109	96	965	-	965	489	489	0	1	4
2435	-	15	-	15	8	35	67	67	-	19	19	-	-	3
3492	-	16	-	15	16	80	131	79	-	33	18	1	-	4
1217	-	81	-	81	40	50	770	740	-	7715	96	7561	48	0
1323	4	6	-	3	3	100	252	61	-	1218	84	-	-	4
22903	0	122	26	96	60	49	940	-	848	46	46	0	0	4
583923	58886	5017	220	4661	1122	22	23187	-	22333	23340	17417	2037	3886	4
132141	13225	3798	300	3498	1197	32	6024	-	5816	21198	20717	372	109	4
187199	15379	7015	505	6510	2395	34	43654	-	43654	4362	3454	576	332	4

1	2	3	4	5	6	7	8
47	(क) रक्षा मंत्रालय (वित्त) (A) M/o Defence (Finance)	3030	0	3676	3676	0	14383
47.1	(क) रक्षा लेखा विभाग, रक्षा लेखा महानियंत्रक का कार्यालय (A) D/o Defence Accounts, O/o CGDA	35123	0	253246	178120	0	668123
47.2	(ख) रक्षा लेखा विभाग, रक्षा लेखा महानियंत्रक का कार्यालय (B) D/o Defence Accounts, O/o CGDA	22461	0	82406	79812	0	175833
47.3	(ग) रक्षा लेखा विभाग, रक्षा लेखा महानियंत्रक का कार्यालय (C) D/o Defence Accounts, O/o CGDA	6808	0	69337	68867	0	77000
48	(क) रक्षा उत्पादन विभाग (सचिवालय) (A) Deptt. Of Defence Production (Secretariat)	1339	0	1277	1277	-	-
48.1	(क) रक्षा उत्पादन विभाग के अधीन कार्यालय (A) Offices of Deptt. Of Defence Production	112414	0	74649	58798	0	309380
48.2	(ख) रक्षा उत्पादन विभाग के अधीन कार्यालय (B) Offices of Deptt. Of Defence Production	17019	0	45059	27307	0	220345
48.3	(ग) रक्षा उत्पादन विभाग के अधीन कार्यालय (C) Offices of Deptt. Of Defence Production	19456	0	3868	2673	0	35444
49	(क) वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग (A) Ministry of Commerce & Industry, D/o Commerce	6246	0	2096	2096	-	20534
49.1	(क) वाणिज्य विभाग के अधीन कार्यालय (A) Offices under Deptt. of Commerce	1827	0	951	0	0	16596
49.1	(ख) वाणिज्य विभाग के अधीन कार्यालय (B) Offices under Deptt. of Commerce	231	0	29	0	0	12938
49.1	(ग) वाणिज्य विभाग के अधीन कार्यालय (C) Offices under Deptt. of Commerce	4099	0	2512	0	0	34686
50	(क) वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, पूर्ति विभाग (A) Ministry of Commerce & Industry, D/o Supply	2119	0	865	865	0	2508
51	(क) पूर्ति विभाग, डी.जी.एस.एंड डी. (मु.) (A) Deptt. of Supply, DGS&D (H.Q)	3286	0	6181	6181	0	17560
51.1	(क) पूर्ति विभाग, डी.जी.एस.एंड डी. के अधीन कार्यालय (A) Offices of Deptt. of Supply, DGS&D (H.Q)	1461	0	3405	3405	0	21619

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
7073	0	25	-	0	25	78	287	287	-	54	53	-	1	4
142688	0	714	423	406	333	47	4235	-	4000	516	474	0	42	4
27496	0	312	157	225	204	65	1960	-	1900	516	474	0	42	4
45919	0	434	177	259	114	26	2310	-	1748	516	474	0	42	4
6327	6774	24	-	24	18	-	126	116	-	51	51	-	-	4
86386	48538	1076	-	1076	873	-	9677	9234	-	10204	5121	4708	375	4
81258	60013	1562	-	1562	1210	-	857	6782	-	1944	1387	208	349	4
40927	27518	1748	-	1748	731	-	9873	9873	-	4639	4846	158	96	4
9610	-	104	-	21	28	-	470	470	-	150	150	-	150	4
9167	-	59	-	48	48	-	1033	1033	-	605	561	-	-	4
1640	-	8	-	8	8	-	205	200	-	605	561	-	-	4
22760	-	259	-	100	100	-	978	615	-	605	561	-	-	4
2606	-	20	7	13	20	35	64	-	64	1	1	-	-	0
9047	0	155	-	8	147	62.5	357	357	-	113	113	-	0	4
8226	0	43	-	25	32	82.5	141	93	-	114	113	-	1	4

1	2	3	4	5	6	7	8
51.2	(ख) पूर्ति विभाग, डी.जी.एस.एंड डी. के अधीन कार्यालय (B) Offices of Deptt. of Supply, DGS&D (H.Q)	1071	0	1154	1154	0	10560
51.3	(ग) पूर्ति विभाग, डी.जी.एस.एंड डी. के अधीन कार्यालय (C) Offices of Deptt. of Supply, DGS&D (H.Q.)	489	0	3783	3783	0	12235
52	(क) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (A) D/o Industrial Policy & Promotion	7975	-	6911	6911	-	29943
52.1	(क) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के अधीन कार्या. (A) Office under D/o Industrial Policy & Promotion	2572	-	8382	7632	7	26959
52.2	(ख) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के अधीन कार्यालय (B) Office under D/o Industrial Policy & Promotion	4012	229	1160	1114	-	2281
52.3	(ग) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के अधीन कार्यालय (C) Office under D/o Industrial Policy & Promotion	46	-	20	15	5	509
53	(क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (A) Ministry of Science & Technology D/o Science & Technology	520	0	905	905	0	21506
53.1	(क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्यालय (A) Offices under D/o Science & Technology	6214	0	94261	94261	0	1583205
53.2	(ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्यालय (B) Offices under D/o Science & Technology	565	0	142	142	0	4138
53.3	(ग) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्यालय (C) Offices under D/o Science & Technology	3489	0	418	418	0	7124
54	(क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय बायोटेक्नोलॉजी विभाग (A) Ministry of Science & Technology D/o Biotechnology	840	104	331	307	24	3062
55	(क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (A) M/o Science & Technology D/o Scientific and Industrial Research	398	0	133	133	-	1662

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3459	0	16	-	4	14	75	106	106	-	114	113	-	1	4
14256	0	20	-	5	13	62.5	151	151	-	114	113	-	1	4
11418	0	27	-	12	15	56	417	417	-	61	60	0	1	4
28737	17775	66	-	34	32	49	599	375	-	5289	106	4782	401	4
75614	249782	34	-	15	19	56	1377	1302	-	174	169	1	4	4
4711	233	1	-	1	0	0	200	25	-	30	30	-	-	3
11647	0	98	54	32	12	12	355	355	355	80	80	0	0	2
67938	0	370	173	157	40	11	2539	1957	1957	204	204	0	0	4
2387	2548	64	28	27	7	11	236	127	127	90	90	0	0	4
5587	4352	32	13	12	7	22	863	595	595	282	282	0	0	4
3752	3062	2	1	1	1	50	250	1	250	20	20	0	0	3
988	-	18	-	16	17	86	84	84	-	69	59	5	64	4



1	2	3	4	5	6	7	8
56	(क) वस्त्र मंत्रालय (मु.) (A) Ministry of Textiles (HQ)	2695	0	2720	2720	0	9789
56.1	(क) वस्त्र मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices of M/o Textiles	3494	0	17217	15131	0	72210
56.2	(ख) वस्त्र मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Offices of M/o Textiles	5001	0	13153	8053	0	50265
56.3	(ग) वस्त्र मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Offices of M/o Textiles	4324	0	7458	6029	0	6133
57	(क) शहरी विकास मंत्रालय (A) Ministry of Urban Development	1568	0	1163	1081	0	23976
57.1	(क) शहरी विकास मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Office of Ministry of Urban Development	22762	208	84153	64080	414	169755
57.2	(ख) शहरी विकास मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Offices of Ministry of Urban Development	118	0	625	237	30	2077
58	(क) आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय (A) Ministry of Housing & Urban Poverty Alleviation	721	0	741	696	0	3861
58.1	(क) आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices of Ministry of Housing & Urban Poverty Alleviation	1008	0	5786	5543	0	19893
59	(क) संचार व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय दूरसंचार विभाग (मु.) (A) M/o Communications & Information Technology D/o Telecom. (HQ)	10541	0	19950	19950	0	32972
59.1	(क) दूरसंचार विभाग के अधीन कार्यालय (A) Offices under D/o Telecommunications	13690	0	13863	13863	0	58670
59.2	(ग) दूरसंचार विभाग के अधीन कार्यालय (C) Offices under D/o Telecommunications	1520	0	4899	4624	-	4410

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3140	9789	20	8	12	8	40	277	-	277	2	2	0	0	4
9108	14419	116	95	111	95	82	672	26	646	364	334	4	7	4
9734	3511	60	54	55	54	90	291	-	291	274	271	3	2	4
7503	13636	36	26	33	26	72	309	-	304	150	124	0	26	4
15161	0	119	89	62	65	55	300	-	300	55	55	0	0	3
76573	31656	889	356	770	355	40	3857	-	3805	1091	921	6	164	4
2299	0	17	14	17	14	82	20	-	10	25	25	0	0	0
2427	0	26	18	10	16	62	62	-	62	44	44	0	0	3
11564	9134	49	40	47	39	80	574	-	566	149	136	10	3	4
22394	0	208	-	177	177	-	821	821	-	356	-	-	1	4
27610	0	296	-	42	254	-	2804	2804	-	280	266	6	16	4
1833	4410	217	-	113	104	-	1065	848	-	126	126	-	-	4

1	2	3	4	5	6	7	8
60	(क) संचार व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (A) M/o Communications & Information Technology D/o Electronics & Information Technology	393	0	752	688	0	4304
60.1	(क) इलेक्ट्रॉ. एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्यालय (A) Offices under D/o Electronics & information tech.	980	0	47	23	0	688
60.2	(ख) इलेक्ट्रॉ. एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्यालय (B) Offices under D/o Electronics & information tech.	8	0	45	45	0	360
60.3	(ग) इलेक्ट्रॉ. एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्यालय (C) Offices under D/o Electronics & information tech.	0	0	0	0	0	360
61	(क) डाक विभाग (मु.) (A) Deptt. of Posts (HQ)	982	0	1048	756	0	5995
61.1	(क) डाक विभाग के अधीन कार्यालय (A) Offices under D/o Posts	7345	0	2015715	154782	0	674215
61.2	(ख) डाक विभाग के अधीन कार्यालय (B) Offices under D/o Posts	1056	0	14729	8985	0	63875
61.3	(ग) डाक विभाग के अधीन कार्यालय (C) Offices under D/o Posts	1854	0	5241	2987	0	56154
62	(क) श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय (मु.) (A) M/o Labour & Employment (HQ)	6102	0	5424	5424	0	5640
63	(क) संघ लोक सेवा आयोग (A) Union Public Service Commission	8142	0	17922	17922	0	46098
64	(क) ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग (A) M/o of Rural Development, Deptt. of Rural Development	2476	-	29148	17877	-	38547
64.1	(क) ग्रामीण विकास विभाग के अधीन कार्यालय (A) Offices under ,Deptt. of Rural Development	220	-	877	728	-	6724
64.2	(ग) ग्रामीण विकास विभाग के अधीन कार्यालय (C) Offices under ,Deptt. of Rural Development	904	0	748	325	0	37907
65	(क) भूमि संसाधन विभाग (A) Deptt. of Land resources	565	0	375	375	0	4338

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3205	0	63	56	19	37	59	590	-	590	89	70	0	19	4
2280	241	3	3	2	2	67	60	-	60	21	21	0	0	2
20	0	11	5	6	4	36	500	-	500	6	5	0	1	4
20	0	11	5	6	4	36	500	-	500	21	21	0	0	2
2518	0	114	92	92	0	0	484	-	484	163	163	0	0	4
142158	3458	492	249	243	249	51	5678	-	5678	259	259	0	0	4
71350	3984	229	66	163	81	35	1325	-	1325	154	154	0	0	4
180231	5762	1021	327	669	352	34	1489	-	1489	163	163	0	0	4
1857	0	54	22	32	22	41	445	-	445	59	59	0	0	4
23150	2850	191	135	135	135	89	730	-	730	60	60	0	0	4
17769	875	56	-	56	38	67	541	459	-	55	55	-	-	4
2087	4136	93	-	12	30	70/40	155	150	-	32	13	-	1	4
40099	5786	30	23	30	23	70/40	449	449	449	1314	470	836	8	0
4278	0	22	14	8	14	64	90	-	90	15	15	0	0	4

1	2	3	4	5	6	7	8
66	(क) पर्यटन मंत्रालय (A) Ministry of Tourism	1192	0	1822	1002	0	7836
66.1	(क) पर्यटन मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under M/o Tourism	10347	6699	4463	2827	132	18740
66.2	(ख) पर्यटन मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Offices under M/o Tourism	13565	3283	706	610	0	1830
66.3	(ग) पर्यटन मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Offices under M/o Tourism	8492	6119	616	347	9	1815
67	(क) संस्कृति मंत्रालय (मुख्या.) (A) Ministry of Culture (HQ)	11601	0	3737	2219	0	18712
67.1	(क) संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices of Ministry of Culture	22777	0	37536	29964	-	100233
67.2	(ख) संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Offices of Ministry of Culture	3184	0	2343	1065	-	502
67.3	(ग) संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Offices of Ministry of Culture	17037	0	7672	6277	-	15933
68	(क) जनजातीय कार्य मंत्रालय (A) Ministry of Tribal Affairs	3953	0	1322	0	0	5586
68.1	(क) जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under Ministry of Tribal Affairs	3953	0	4193	130	0	3113
69	(क) भारत का निर्वाचन आयोग (A) Election Commission of India	3718	0	11870	3580	0	22694
70	(क) पंचायती राज मंत्रालय (A) Panchayati Raj Mantralaya	616	0	1381	1381	0	3338
71	(क) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (A) Ministry of Youth Affairs & Sports	617	0	2666	2666	0	12368
71.1	(क) भारतीय खेल प्राधिकरण, राष्ट्रीय सेवा योजना, नेहरू युवा केंद्र नई दिल्ली (A) Sports Authority of India, National Service Scheme, Nehru Yuva Kendra	2941	0	7036	3794	0	12472

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
8879	0	36	32	36	32	89	180	-	180	127	126	0	1	4
18933	2806	92	72	85	72	78	503	-	443	355	172	125	58	4
4580	1119	21	19	21	19	70	172	-	113	119	67	11	41	4
15257	5029	57	34	57	34	60	265	-	122	116	84	32	0	4
27470	-	24	7	10	7	29	230	230	230	29	27	-	2	4
47802	35489	321	211	111	150	65	1694	1694	1619	28	28	0	1	4
1216	0	6	3	2	3	50	7	7	7	29	28	0	1	4
112548	0	82	44	39	30	53	655	655	617	29	28	-	1	3
6075	5586	19	10	11	5	26	99	-	99	30	30	0	0	2
4380	6878	41	20	21	12	29	124	-	122	102	74	17	10	4
14088	14088	79	18	61	13	65	314	-	314	79	79	0	0	4
6591	-	15	-	5	10	45	70	60	-	18	-	-	-	4
7198	0	21	-	5	16	60	183	183	-	15	-	-	-	4
4347	2989	137	-	56	82	70	358	358	-	76	-	-	-	4

1	2	3	4	5	6	7	8
72	(क) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (A) Ministry of North Eastern Region Development	669	0	708	708	0	1822
72.1	(ग) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Offices of Ministry of North Eastern Region Development	600	0	262	262	0	2534
73	(क) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (A) Ministry of Minority Affairs	934	0	834	834	0	0
73.1	(क) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices of Ministry of Minority Affairs	474	0	2464	2200	9	19276
74	(क) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय (A) Ministry of Overseas Indian Affairs	281	0	617	241	0	3147
75	(क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (A) Ministry of Micro, Small and Medium Enterprise	1197	0	1820	1820	0	10217
75.1	(क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन कार्या. (A) Offices of Ministry of Micro, Small and Medium Enterprise	1100	0	11672	0	0	23835
75.2	(ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन कार्या. (B) Offices of Ministry of Micro, Small and Medium Enterprise	1209	56	55405	0	0	160898
75.3	(ग) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन कार्या. (C) Offices of Ministry of Micro, Small and Medium Enterprise	1466	20	265	0	0	15999
76	(क) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (मु.) (A) Ministry of Petroleum & Natural Gas (HQ)	2583	0	5965	5965	0	12295
76.1	(क) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन कार्या. (A) Offices under Ministry of Petroleum & Natural Gas	26324	0	126938	119249	0	668957
76.2	(ख) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन कार्या. (B) Offices under Ministry of Petroleum & Natural Gas	35600	0	110640	95697	0	712884
76.3	(ग) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन कार्या. (C) Offices under Ministry of Petroleum & Natural Gas	13794	0	46436	31927	0	355210

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2039	0	14	-	4	10	40	96	96	-	20	-	-	-	4
6559	0	12	-	9	3	25	95	84	-	30	-	-	-	4
1443	1383	16	13	13	13	81	115	-	105	34	34	0	0	2
15985	18054	35	9	32	9	26	136	-	120	39	37	2	0	4
5367	226	11	3	8	0	0	60	-	60	18	18	0	0	4
659	0	19	-	2	17	89	113	113	-	37	37	-	-	2
7737	0	60	-	20	38	67	473	473	-	153	153	-	-	4
89261	0	71	-	8	63	88	506	506	-	34	34	-	-	4
12447	0	21	-	11	10	48	339	320	-	86	86	-	-	4
9422	0	31	25	6	0	0	268	-	268	84	82	0	2	4
155688	5924	898	867	31	0	0	16388	-	16388	1656	1554	70	29	4
164765	42	1648	1675	73	0	0	16810	-	16810	1447	1436	11	0	4
167191	9508	1760	1353	407	0	0	19275	-	16280	3100	2887	185	1	4



1	2	3	4	5	6	7	8
77	(क) कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (A) Ministry of Corporate Affairs	5668	0	2233	2233	0	13853
77.1	(क) कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under Ministry of Corporate Affairs	2895	0	7309	7309	0	242277
77.2	(ख) कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Offices under Ministry of Corporate Affairs	6404	0	1699	1699	0	41073
77.3	(ग) कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Offices under Ministry of Corporate Affairs	2058	0	2237	2237	0	16542
78	(क) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (A) Ministry of Women & Child Development	1708	0	0	0	0	0
78.1	(क) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under Ministry of Women & Child Development	1708	0	2011	2011	0	11254
79	(क) पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय (A) Ministry of Drinking Water and Sanitation	2204	0	1211	1211	0	1211

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
20972	0	37	9	26	7	19	210	-	210	188	188	0	0	4
39462	0	121	38	100	38	31	859	-	859	580	580	0	0	4
41762	0	41	34	35	31	76	350	-	350	205	205	0	0	4
27451	0	92	33	88	32	35	366	-	366	1745	1745	0	0	4
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5758	0	19	0	9	5	26	337	-	337	28	28	0	0	4
4300	7827	3	0	0	3	100	165	-	165	35	35	0	0	4

## CHAPTER-2

### PART-B

#### Assessment of the implementation of the Official Language Policy in Ministries/Departments and their attached/subordinate offices, corporations, undertakings, banks etc., during 2014-2015

The Ministries/Depts. which have violated the Section 3(3) of the Official Languages Act, 1963:-			The Ministries/Depts. which have violated the Rule-5 of Official Language Rules, 1976.		
Sr. No.	Code No.	Names of Ministries/ Departments	Sr. No.	Code No.	Names of Ministries/ Departments
1.	2.2 & 2.3	M/o Coal & Offices under it, region 'B' & 'C'	1.	4	M/o Social Justice and empowerment
2.	4	M/o Social Justice and empowerment	2.	5.3	D/o Administrative reforms, Public Grievances
3.	8.2 & 8.3	Offices under M/o of Home Affairs region B & C	3.	8.2 & 8.3	Offices under Ministry of Home Affairs region 'B' & 'C'
4.	10.2 to 10.3	Units/Undertakings/Institutions of D/o Atomic Energy in region A & C	4.	10.3	Units/Undertakings/Institutions of D/o Atomic Energy in region C
5.	12.1 to 12.3	M/o Human Resources Development region A,B,C	5.	12.1	M/o Human Resources Development region A
6.	14.1 to 14.3	O/o NITI Aayog region A,B,C	6.	14.1	O/o NITI Aayog region A
7.	24.1	M/o Health and Family welfare region A	7.	24.1	M/o Health and Family welfare region A
8.	39, 39.1 to 39.3	O/o The Comptroller & Auditor General of India, region 'A' to 'C'	8.	29.1	M/o Food Processing Industries region A
9.	43, 43.3	Department of Chemical & Petrochemical and its region C	9.	30.1	D/o Heavy Industries region A
10.	52.2	O/o Department of Industrial Policy & Promotion region B	10.	39,39.1 to 39.3	O/o The Comptroller & Auditor General of India, and its region 'A' to 'C'
11.	54	Department of Bio Technology	11.	43, 43.3	Department of Chemical & Petrochemical and its region C
12.	57.1	M/o Urban Development region A	12.	52.1, 52.3	O/o Department of Industrial Policy & Promotion region A & C
13.	66.1 to 66.3	O/o Ministry of Tourism region A to C	13.	54	Department of Bio Technology
14.	75.2, 75.3	M/o Micro, Small and Medium Enterprises region 'B' & 'C'	14.	57.1, 57.2	M/o Urban Development region A & B
			15.	66.1	O/o Ministry of Tourism, region A
			16.	73.1	Ministry of Minority Affairs region A
			17.	77.1	O/o Ministry of Corporate Affairs region "A"

## अध्याय-2

### भाग-ख

वर्ष 2014-15 के दौरान मंत्रालय/विभागों और उनके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/निगमों, उपक्रमों, बैंकों आदि में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन का मूल्यांकन

मंत्रालयों/विभागों के नाम, जिनमें राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का उल्लंघन हुआ है:			मंत्रालयों/विभागों के नाम, जिनमें राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का उल्लंघन हुआ है:		
क्रम सं.	कोड संख्या	मंत्रालयों/विभागों के नाम	क्रम सं.	कोड संख्या	मंत्रालयों/विभागों के नाम
1.	2.2 और 2.3	कोयला मंत्रालय और इसके अधीन कार्यालय क्षेत्र ख और ग	1.	4	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
2.	4	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	2.	5.3	प्रशासनिक सुधार, लोक शिकायत विभाग
3.	8.2 और 8.3	गृह मंत्रालय के अधीन कार्यालय, क्षेत्र ख और ग	3.	8.2 और 8.3	गृह मंत्रालय के अधीन कार्यालय क्षेत्र ख और ग
4.	10.2 और 10.3	परमाणु ऊर्जा विभाग के यूनिट/उपक्रम/संस्थान क्षेत्र क से ग	4.	10.3	परमाणु ऊर्जा विभाग के यूनिट/उपक्रम/संस्थान क्षेत्र ग
5.	12.1 से 12.3	मानव संसाधन विकास मंत्रालय के कार्यालय, क्षेत्र क से ग	5.	12.1	मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन क्षेत्र, क
6.	14.1 से 14.3	नीति आयोग के कार्यालय, क्षेत्र क से ग	6.	14.1	योजना आयोग के कार्यालय क्षेत्र, क
7.	24.1	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के कार्यालय, क्षेत्र ग	7.	24.1	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय क्षेत्र, क
8.	39, 39.1 से 39.3	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय एवं इसके अधीन कार्यालय क्षेत्र क से ग	8.	29.1	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अधीन क्षेत्र, क
9.	43 और 43.3	रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग और इसके कार्यालय, क्षेत्र ग	9.	30.1	भारी उद्योग विभाग के अधीन कार्यालय क्षेत्र, क
10.	52.2	औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग के अधीन ख क्षेत्र के कार्यालय	10.	39, 39.1 से 39.3	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय क्षेत्र क से ग
11.	54	बायोटेक्नोलॉजी विभाग	11.	43 और 43.3	रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग तथा इसके अधीन कार्यालय क्षेत्र ग
12.	57.1	शहरी विकास मंत्रालय के अधीन क क्षेत्र के कार्यालय	12.	52.1 और 52.3	औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग के कार्यालय क्षेत्र क और ग
13.	66.1 से 66.3	पर्यटन मंत्रालय के अधीन कार्यालय क्षेत्र क से ग	13.	54	बायोटेक्नोलॉजी विभाग
14.	75.2 और 75.3	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन कार्यालय क्षेत्र ख, ग	14.	57.1 और 57.2	शहरी विकास मंत्रालय के कार्यालय, क्षेत्र क और ख
			15.	66.1	पर्यटन मंत्रालय के कार्यालय, क्षेत्र क
			16.	73.1	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधीन कार्यालय क्षेत्र क
			17.	77.1	कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय कार्यालय, क्षेत्र क

**CHAPTER-2 (contd.....)**

**PART-B**

**Assessment of the implementation of the Official Language Policy in Ministries/Departments and their attached/subordinate offices, corporations, undertakings, banks etc., during 2014-2015**

The Ministries/Depts. where Codes/Manuals etc. are not bilingual as per rules:-			Names of the Ministries/Depts. which have not convened the prescribed four meetings of official language Implementation committee during the year.		
Sr. No.	Code No.	Names of Ministries/ Departments	Sr. No.	Code No.	Names of Ministries/ Departments
1.	1.2	D/o Space region 'C'	1.	4	M/o Social Justice and Empowerment
2.	2.1, 2.3	Offices under M/o Coal region A & C	2.	5	Deptt of Personnel and Training
3.	3.1 to 3.3	Offices under M/o Mines region "A" & 'C'	3.	5.2	M/o Pension and pensioners welfare
4.	5.1	Office of Deptt of Personnel and Training region A	4.	5.3	D/o Administrative reforms and Public Grievances
5.	7.1 & 7.2	Offices under D/o Consumer Affairs region A & B	5.	6	D/o Food and Public Distribution
6.	8.1 to 8.3	Offices under Ministry of Home Affairs region A to C	6.	8, 8.1	Ministry of Home Affairs and region A
7.	9.1	M/o Water Resources River Development and Ganga rejuvenation region A	7.	24, 24.1 to 24.3	M/o Health and family welfare and region A to C
8.	10, 10.1 to 10.3	Units/Undertakings/Institutions of Deptt. of Atomic Energy and its region A to ,C	8.	28	Cabinet Secretariat
9.	14.1	O/o NITI Aayog region A	9.	30	D/o Heavy Industries
10.	15, 15.1 to 15.3	Ministry of Railways and region A to C	10.	31	Deptt. of Public Enterprises
11.	16	Ministry of External Affairs	11.	36	D/o Agricultural research and education
12.	18.1 & 18.3	D/o Legal Affairs region A & C		37	D/o Animal Husbandry, Dairy and Fisheries
13.	19.1	Offices under M/o Finance, D/o Expenditure, region A	12.	45,45.2	Deptt. of Pharmaceuticals and region 'B'
14	21.1	Offices under M/o Finance D/o Revenue, region A	13.	50	D/o of Supply, M/o Commerce and Industries
15	22.3	Offices under D/o Economic Affairs region C	14.	52.3	D/o of DIPP region C
16	23.1.3, ,23.4.1, 23.4.2, 23.4.3 23.623.6.1, 23.6.2, 23.6.3, 23.16, 23.16.1,23.16.2,23.16.3,23.17,23.1 7.2,23.18,23.18.1,23.18.2,23.18.3, 23.20.1, 23.21.3, 23.22, 23.22.1, 23.22.2, 23.30, 23.30.1, 23.30.2, 23.30.3, 23.31.1, 23.34, 23.36, 23.36.1, 23.37.2	M/o Finance, D/o Financial Services	15	53	D/o Science and Technology

अध्याय-2 (जारी.....)

भाग-ख

वर्ष 2014-15 के दौरान मंत्रालय/विभागों और उनके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/निगमों, उपक्रमों, बैंकों आदि में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन का मूल्यांकन

मंत्रालयों/विभागों के नाम, जिनमें कोड/मैनुअल आदि नियमानुसार द्विभाषी नहीं है:			मंत्रालयों/विभागों के नाम, जिनमें वर्ष के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन समिति की निर्धारित चार बैठकें आयोजित नहीं हुईं;		
क्र. सं.	कोड संख्या	मंत्रालयों/विभागों के नाम	क्रम सं.	कोड संख्या	मंत्रालयों/विभागों के नाम
1.	1.2	अंतरिक्ष विभाग के केंद्र क्षेत्र ग	1.	4	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
2.	2.1 2.3	कोयला मंत्रालय के कार्यालय क्षेत्र क और ग	2.	5	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
3.	3.1 से 3.3	खान मंत्रालय के कार्यालय क्षेत्र क से ग	3.	5.2	पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण मंत्रालय
4.	5.1	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय क्षेत्र क	4.	5.3	प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
5.	7.1, 7.2	उपभोक्ता मामले विभाग के कार्यालय क्षेत्र क और ग	5.	6	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग
6.	8.1 से 8.3	गृह मंत्रालय के अधीन कार्यालय क से ग	6.	8, 8.1	गृह मंत्रालय और इसके अधीन क क्षेत्र के कार्यालय
7.	9.1	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के कार्यालय क्षेत्र क	7.	24, 24.1 से 24.3,	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और इसके अधीन क्षेत्र क से ग के कार्यालय
8.	10, 10.1 से 10.3	परमाणु ऊर्जा विभाग और इसके यूनिट/उपक्रम/संस्थान क्षेत्र क से ग	8.	28	मंत्रिमंडल सचिवालय
9.	14.1	नीति आयोग के कार्यालय, क्षेत्र क	9.	30	भारी उद्योग विभाग
10.	15, 15.1 से 15.3	रेल मंत्रालय और इसके अधीन, क्षेत्र क से ग	10.	31	लोक उद्यम विभाग
11.	16	विदेश मंत्रालय		36	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग
12.	18.1 और 18.3	विधि कार्य विभाग के कार्यालय क्षेत्र क और ग	11.	37	पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य विभाग
13.	19.1	वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के अधीन क्षेत्र क	12.	45, 45.2	औषध विभाग और इसके अधीन ख क्षेत्र के कार्यालय
14.	21.1	वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के अधीन क्षेत्र क	13.	50	पूर्ति विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
15.	22.3	वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के क्षेत्र ग	14.	52.3	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के अधीन ग क्षेत्र के कार्यालय
16.	23.1.3, 23.4.1, 23.4.2, 23.4.3 23.6 23.6.1,23.6.2,23.6.3,23.16,23.16.1, 23.16.2,23.16.3,23.17,23.17.2,23.18 23.18.1,23.18.2,23.18.3, 23.20.1, 23.21.3, 23.22, 23.22.1, 23.22.2, 23.30, 23.30.1, 23.30.2, 23.30.3, 23.31.1, 23.34, 23.36, 23.36.1, 23.37.2	वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग के अधीन कार्यालय	15	53	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

**CHAPTER-2 (contd.....)**

**PART-B**

**Assessment of the implementation of the Official Language Policy in Ministries/Departments and their attached/subordinate offices, corporations, undertakings, banks etc., during 2014-2015**

The Ministries/Depts. where Codes/Manualsetc. are not bilingual as per rules:-			Names of the Ministries/Depts. which have not convened the prescribed four meetings of official language Implementation committee during the year.		
17	24	Ministry of Health & Family welfare	16	54	D/o Bio-Technology
18	27.1	O/o Ministry of Information & Broadcasting, region A	17	57, 57.2	Ministry of Urban Development and its region A
19	29.1, 29.2	O/o Ministry of Food processing Industries region A & B	18	58	Ministry of Housing and Urban poverty Allevation
20	30.1 & 30.2	O/o Ministry of Heavy Industries, region A & B	19	60.1, 60.3	O/o Deptt. of Electronics and IT region A & C
21	32.1,32.2	O/o Ministry of Steel region A & B	20	64.2	O/o Deptt. of Rural Development region C
22.	34.1	O/o Ministry of Power region A	21	67.3	O/o Ministry of Culture region C
23.	36.1	O/o Indian Council of Agricultural Research region A	22	68	Ministry of Tribal Affairs
24.	38, 38.1 to38.3	Ministry of Statistics & Programme Implementation and its region A to C	23	71	Ministry of Youth Affairs and Sports
25.	39, 39.1 to 39.3	Comptroller and Auditor General and its region A,B,C	24	73	Ministry of Minority Affairs
26.	40.2, 40.3	O/o Ministry of Shipping , Region B and C	25	75	Ministry of Micro Small & Medium Enterprises
27.	42.1 to 42.3	O/o Ministry of Civil Aviation region 'A' to "C"	26	78	Ministry of Women and Child welfare
28.	43, 43.1, 43.2	Department of Chemical & Petrochemical and region 'A' & "B"			
29.	44.2	O/o Deptt. of Fertilizers region "B"			
30.	45.1, 45.2	O/o Deptt. of Pharmaceuticals region A & B			
31.	46.1 to 46.3	O/o Defence Headquarter and ISO region 'A' to "C"			
32.	48.1 to 48.3	D/o Defence production region 'A' to "C"			
33.	52.1 & 52.2	O/o DIPP region 'A' & "B"			
34	56.1, 56.2	O/o Ministry of Textiles region A & B			
35	57.1	O/o Ministry of Urban Development region A			
36	58.1	O/o Ministry of Housing and Urban Poverty Allevation region A			
37	59.1	O/o Deptt. of Telecommunication region "A"			
38	64.2	O/o Deptt. of Rural Development region "C"			
39	66.1 to 66.3	O/o Ministry of Tourism region 'A' to "C"			
40	68.1	O/o Ministry of Tribal Affairs region A			
41	73.1	O/o Ministry of Minority Affairs region A			
42	76.1 to 76.3	O/o Ministry of Petroleum & Natural Gas region 'A' to "C"			

अध्याय-2 (जारी.....)

भाग-ख

वर्ष 2014-15 के दौरान मंत्रालय/विभागों और उनके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/निगमों, उपक्रमों, बैंकों आदि में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन का मूल्यांकन

मंत्रालयों/विभागों के नाम, जिनमें कोड/मैनुअल आदि नियमानुसार द्विभाषी नहीं है:			मंत्रालयों/विभागों के नाम, जिनमें वर्ष के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन समिति की निर्धारित चार बैठकें आयोजित नहीं हुईं;		
17	24	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	16	54	बायो-टेक्नोलॉजी विभाग
18.	27.1	सूचना प्रसाण मंत्रालय के अधीन क्षेत्र क	17	57, 57.2	शहरी विकास मंत्रालय और इसके अधीन ख क्षेत्र के कार्यालय
19.	29.1, 29.2	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अधीन क्षेत्र क और ख	18	58	आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय
20.	30.1 और 30.2	भारी उद्योग विभाग के कार्यालय क्षेत्र क और ख	19	60.1, 60.3	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के क्षेत्र क व ग
21.	32.1, 32.2	इस्पात मंत्रालय के अधीन क्षेत्र क और ग	20	64.2	ग्रामीण विकास विभाग के ग क्षेत्र के कार्यालय
22.	34.1	विद्युत मंत्रालय के कार्यालय क्षेत्र क	21	67.3	संस्कृति मंत्रालय के अधीन ग क्षेत्र के कार्यालय
23.	36.1	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	22	68	जनजातीय कार्य मंत्रालय
24.	38, 38.1से 38.3	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय व इसके क्षेत्र क से ग	23	71	युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
25.	39, 39.1से 39.3	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और इसके कार्यालय क्षेत्र क से ग	24	73	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
26.	40.2, 40.3	पोत परिवहन मंत्रालय के अधीन कार्यालय क्षेत्र ख और ग	25	75	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
27.	42.1 से 42.3	नागरिक उड्डयन मंत्रालय के कार्यालय क्षेत्र क से ग	26	78	महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय
28.	43, 43.1, 43.2	रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग और इसके कार्यालय क्षेत्र क और ग			
29.	44.2	उर्वरक विभाग के कार्यालय क्षेत्र ख			
30.	45.1, 45.2	औषध विभाग के कार्यालय क्षेत्र क और ख			
31.	46.1 से 46.3	सेना मुख्यालय एवं अंतर सेवा संगठन के कार्यालय क्षेत्र क से ग			
32.	48.1 से 48.3	रक्षा उत्पादन विभाग क्षेत्र क से ग			
33	52.1 से 52.2	औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग क्षेत्र क और ख			
34	56.1, 56.2	वस्त्र मंत्रालय के कार्यालय क्षेत्र क और ख			
35	57.1	शहरी विकास मंत्रालय के कार्यालय क्षेत्र के			
36	58.1	आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के कार्यालय क्षेत्र क			
37	59.1	दूरसंचार विभाग के कार्यालय क्षेत्र क			
38	64.2	ग्रामीण विकास विभाग के कार्यालय क्षेत्र ग			
39	66.1 से 66.3	पर्यटन मंत्रालय के कार्यालय क्षेत्र क से ग			
40	68.1	जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन कार्यालय क्षेत्र क			
41	73.1	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के कार्यालय क्षेत्र क			
42	76.1 से 76.3	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के कार्यालय क्षेत्र क से ग			



## CHAPTER-3

### DEFICIENCIES NOTICED IN THE IMPLEMENTATION OF THE OFFICIAL LANGUAGE POLICY, REMEDIAL MEASURES FOR REMOVING THEM AND SUGGESTIONS FOR BETTER IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE POLICY

#### Sources of Statistics on Implementation of Official Language

The implementation of the provisions of the Official Languages Act, 1963 and Official Language Rules, 1976 framed there under and orders/instructions issued by the Government of India from time to time for stepping up the use of Hindi is ensured by close monitoring of the Quarterly Progress Reports, Annual Assessment Reports and Six-monthly Reports pertaining to training in Hindi, Hindi Typing/Hindi Stenography, IT Tools and Translation Skills. All Ministries/Departments of Central Government prepare the above reports in the prescribed proforma showing the progress made in the use of Hindi and these reports are sent to the Department of Official Language. These reports are scrutinized in the Department of Official Language and shortcomings are brought to the notice of concerned Ministries/Departments.

The deficiencies noticed by comparative assessment of the implementation/ work done by various Ministries / Departments, Offices, Undertakings, etc. have been mentioned in Part -B of Chapter 2.

#### Suggestions for removing the deficiencies noticed in implementation work

The following action is suggested by the Department of Official Language for addressing the deficiencies noticed:

- (1) The pending work of Hindi translation of Central Rules, Manuals, Forms, Codes and other procedural literature should be got completed on priority basis according to time bound programme and its publication should be in diglot-form.
- (2) Every office must send its reply in Hindi to letters received in Hindi. This Point has always been stressed upon while reviewing the quarterly progress reports. If letter received in Hindi is replied to in English the matter is brought to the notice of the concerned office. Offices concerned are requested to review the matter so as to avoid recurrence.
- (3) With a view to increase Hindi Correspondence, original Hindi noting/drafting, drafting may be encouraged. Ministries / Departments have been asked to do maximum correspondence in Hindi.

(4) Documents mentioned under Section 3 (3) of the Official Languages Act must be issued bilingually. It is specifically stressed that all these documents must be issued in both Hindi and English simultaneously.

(5) The position regarding availability of bilingual computers and enabling of "Unicode" should be reviewed in the Ministries/Departments from time to time. Information / co-operation is extended by the Technical Cell of the Department of Official Language about availability of bilingual electronic/ mechanical equipments and computers.

(6) Extensive review of progress made in implementation of Official Language Policy should be made in the meetings of the Official Language implementation committees and the Town Official Language Implementation Committees.

(7) It is emphasized that the employees not having working knowledge of Hindi may be got trained through Hindi Teaching Scheme / Central Hindi Training Institute or through the correspondence course of the Central Hindi Directorate.

(8) In the meetings of Hindi Advisory committee, Official Language Implementation Committees and the Town Official Language Implementation Committees as well as on other occasions, attention of senior officers is drawn to the need to encourage the staff to work in Hindi and they are also asked to do their work in Hindi progressively.

#### Measures for removing the deficiencies noticed in implementation work.

A number of significant initiatives have been taken by the DOL and notable achievements have been made by various Ministries/ Departments towards wider and more effective use of Hindi as Official Language. Salient features of measures taken by the Department of Official Language include the following:

- (i) Rajbhasha Puraskar Yojna were reviewed in the year 2014-15. New "Rajbhasha Gaurav Puraskar" Yojna and "Rajbhasha Kirti Puraskar" Yojna with enhanced award amount were notified .

## अध्याय-3

### राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में पाई गई कमियां और उनके निराकरण के लिए सुधारात्मक उपाय और राजभाषा नीति के बेहतर कार्यान्वयन के लिए सुझाव

#### राजभाषा के कार्यान्वयन पर सांख्यिकी के स्रोत

राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अधीन बनाए गए राजभाषा नियम, 1976 के प्रावधानों और हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी आदेशों/अनुदेशों का कार्यान्वयन तिमाही प्रगति रिपोर्ट, वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट और हिंदी भाषा, हिंदी टंकण/हिंदी आशुलिपि में प्रशिक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों तथा अनुवाद दक्षताओं से संबंधित छमाही रिपोर्ट के द्वारा निगरानी करके सुनिश्चित की जाती है। केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति दर्शाते हुए निर्धारित प्रपत्र में उपर्युक्त रिपोर्ट तैयार करते हैं और ये रिपोर्ट राजभाषा विभाग को भेजी जाती है। राजभाषा विभाग में इन रिपोर्टों की समीक्षा की जाती है और कमियों को संबंधित मंत्रालयों/विभागों के ध्यान में लाया जाता है।

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, कार्यालयों, उपक्रमों इत्यादि द्वारा किए गए कार्यान्वयन/कार्यों का तुलनात्मक मूल्यांकन करने के बाद जानकारी में आई कमियों का अध्याय-2 के भाग 'ख' में उल्लेख किया गया है-

#### कार्यान्वयन कार्य में जानकारी में आई कमियों को दूर करने के लिए सुझाव:

इस संबंध में जानकारी में आई कमियों के बारे में अवगत कराते हुए राजभाषा विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई करने का सुझाव दिया गया है :-

- (1) जिन केंद्रीय नियमों, मैनुअलों, फार्मों, संहिताओं और अन्य प्रक्रियात्मक साहित्य का हिंदी अनुवाद शेष है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर अनुदित कराया जाना चाहिए और उसका डिग्लॉट रूप में प्रकाशन होना चाहिए।
- (2) प्रत्येक कार्यालय को हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर अनिवार्यतः हिंदी में ही देना है। इस मुद्दे पर प्रत्येक तिमाही प्रगति रिपोर्ट में निरंतर जोर दिया जाता है। यदि हिंदी में प्राप्त पत्र का उत्तर अंग्रेजी में दिया जाता है तो इस मुद्दे को संबंधित कार्यालय के ध्यान में लाया जाता है। संबंधित कार्यालय से अनुरोध है कि इस मुद्दे की समीक्षा करें ताकि ऐसी पुनरावृत्ति न हो।
- (3) हिंदी में पत्राचार की वृद्धि के लिए मूल हिंदी टिप्पण/मसौदा लेखन को बढ़ावा दिया जाए। मंत्रालयों/विभागों को अधिकाधिक पत्राचार हिंदी में करने के निर्देश दिए गए हैं।

- (4) राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत उल्लिखित कागजों को अनिवार्यतः द्विभाषी रूप में जारी किए जाए। इस बात पर विशेष जोर दिया जाता है कि सभी दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में साथ-साथ जारी किए जाएं।
- (5) द्विभाषी कंप्यूटरों की उपलब्धता के बारे में स्थिति और यूनिकोड की उपलब्धता के बारे में सभी मंत्रालयों/विभागों में समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए। राजभाषा विभाग का तकनीकी कक्ष द्विभाषी इलेक्ट्रॉनिकी/यांत्रिकी उपकरणों और कम्प्यूटरों की उपलब्धता के बारे में जानकारी प्रदान करता है।
- (6) राजभाषा कार्यान्वयन समितियों और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की व्यापक समीक्षा की जानी चाहिए।
- (7) जिन कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान नहीं है उन्हें हिंदी शिक्षण योजना/केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान अथवा केंद्रीय हिंदी निदेशालय के पत्राचार पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण दिए जाने पर जोर दिया जाना चाहिए।
- (8) हिंदी सलाहकार समितियों, राजभाषा कार्यान्वयन समितियों और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों में और अन्य अवसरों पर कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाए और उन्हें उत्तरोत्तर हिंदी में कार्य करने के लिए भी अनुरोध किया जाए।

#### कार्यान्वयन कार्य में जानकारी में आई कमियों को दूर करने के लिए उपाय:-

राजभाषा विभाग द्वारा कई महत्वपूर्ण पहलें की गई हैं और विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा राजभाषा के रूप में हिंदी के व्यापक और अधिक प्रभावी उपयोग के लिए उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं। राजभाषा विभाग द्वारा किए गए उपायों सहित अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार हैं-

- (i) वर्ष 2014-15 के दौरान राजभाषा पुरस्कार योजनाओं की समीक्षा की गई। बढी हुई पुरस्कार राशि के साथ नई 'राजभाषा गौरव पुरस्कार' योजना व 'राजभाषा कीर्ति पुरस्कार' योजना अधिसूचित की गई।

- (ii) To make personnel of Central Government proficient in Hindi in official work, it has been decided to start a new training programme "PARANGAT".
- (iii) 45 New Town official Language Implementation committees have been constituted between April, 2014 to March, 2015, taking the total number to 385. The target is to have a Town official Language Implementation committee in each of such district headquarter/ major city in the district having 10 or more Central Government entities.
- (iv) The regional conferences are being held in different parts of the country to impress upon different Central Government Offices for implementation of Official Language Policy .
- (v) Various awards schemes are being implemented to encourage the use of Rajbhasha Hindi in the official works of Ministries/departments, Undertakings and Banks. The outstanding achievements are being recognized and honored during the Hindi Day celebrations and Regional Conferences.
- (vi) With a view to advising the Ministries/ Departments of Central Government regarding the smooth implementation of official Language policy, Hindi Advisory committees have been constituted under the chairmanship of their respective Ministers.
- (vii) With a view to reviewing the progressive use of Hindi in the Ministries/ Departments of the Central Govt., there exists a Central Official Language Implementation Committee in the Department of Official Language under the chairmanship of Secretary, Department of Official Language. The officer in-charge (Joint Secretary level) entrusted with the work of Official Language Hindi in Ministries/ Departments are members of this Committee.

(ii) केंद्र सरकार के कार्मिकों को सरकारी कामकाज हिंदी में करने में दक्ष बनाने के लिए नया प्रशिक्षण कार्यक्रम 'पारंगत' शुरू करने का निर्णय लिया गया ।

(iii) अप्रैल, 2014 से मार्च, 2015 के बीच 45 नई नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित की गईं, जिससे उनकी कुल संख्या 385 हो गई हैं । ऐसे जिला मुख्यालयों/जिले के बड़े शहरों, जहां केंद्र सरकार के 10 अथवा अधिक कार्यालय हैं, प्रत्येक में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित करने का लक्ष्य है ।

(iv) राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न सरकारी कार्यालयों को प्रभावित करने के लिए देश के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं ।

(v) मंत्रालयों/विभागों, उपक्रमों और बैंकों के सरकारी कार्यों में राजभाषा हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न पुरस्कार योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं । हिंदी दिवस समारोहों और क्षेत्रीय सम्मेलनों के दौरान उल्लेखनीय उपलब्धियों की पहचान करके सम्मानित किया जाता है।

(vi) राजभाषा नीति के सुचारू कार्यान्वयन के बारे में केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों को सलाह देने की बात को ध्यान में रखते हुए संबंधित मंत्रालयों/विभागों के मंत्रियों की अध्यक्षता में हिंदी सलाहकार समितियों का गठन किया गया है ।

(vii) केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों में हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग की समीक्षा को ध्यान में रखते हुए सचिव, राजभाषा विभाग की अध्यक्षता में राजभाषा विभाग में एक केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति मौजूद है । मंत्रालयों/विभागों में राजभाषा हिंदी के कार्य के प्रभारी अधिकारी (संयुक्त सचिव स्तर) इस समिति के सदस्य हैं ।